

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2019—आश्विन 12, शक 1941

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

No. D-6143

AMENDMENT

Jabalpur, the 20th September 2019

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH SERVICES (RECRUITMENT, GENERAL CONDITIONS OF SERVICES, CONDUCT, CLASSIFICATION, CONTROL AND APPEAL) RULES, 2017

1. In clause (a) of Rule 2, after the words "means the", the words "Accounts Officer" shall be substituted by the words "Deputy Controller Accounts".
2. In clause (e) of Rule 2, after the words "means the", the words "Budget Officer" shall be substituted by the words "Controller Accounts".
3. In clause (z) of Rule 2, at the end, the words "or equivalent" shall be substituted by the words "and Chief Librarian".

4. In sub-rule (2) of Rule 16 , in the first para;
 - (i) The words “Chief Justice or such Puisne” shall be substituted by the words “High Court”.
 - (ii) Between the words “Committee of” and “Judges”, the words “High Court” shall be added.
5. In sub-rule (2) of Rule 17;
 - (i) The words “Chief Justice” shall be substituted by the words “High Court Judge or the committee of High Court Judges”.
 - (ii) The words “a committee of three senior most Judges” shall be substituted by the words “the Chief Justice”.
6. In the schedule-I, at serial No.01;
 - (i) In column No.9, the words “by promotion from amongst Principal Registrars orHigher Judicial Service” shall be substituted by the following words;
“On deputation of Judicial Officer of Super Time Scale from the cadre of the Higher Judicial Service”.
 - (ii) In column No.10, the words “Principal Registrars or” shall be deleted.
 - (iii) Between the words “Judicial Officers” and “from the cadre” the words “of Super Time Scale” shall be added.
7. In the schedule I, at serial No. 15;
 - (i) In column No.09, between the words “Joint Registrars (M)” and “who have”, the symbol & words “/Controller Accounts” shall be added.
 - (ii) In column No.10, after the words “Joint Registrar (M)”, the symbol and words “/Controller Accounts” shall be added.
8. In the schedule-I, at serial No. 30, in column No.9 (ii);
 - (i) Between the words “filled by” and “Junior Judicial Assistant”, the words and symbol “Judicial Assistant /” shall be added.
 - (ii) At the end, after the figure and words “5 years service”, the words “as Junior Judicial Assistant” shall be added.
9. In the schedule-I; at serial No. 47;
 - (i) In column No.09, in the beginning, before the words “by promotion”, the words “On deputation having requisite qualification. or” shall be added.
10. In the schedule-I, at serial No. 65, in Column No.6;
 - (i) Point No. (vi) shall be deleted.
 - (ii) Point No. “(vii)” shall be renumbered as point No. “(vi)”.

By order of Hon'ble the Acting Chief Justice
RAJENDRA KUMAR VANI, Registrar General.

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग**पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई-5, अरेरा कोलनी, भोपाल****भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2019**

क्रमांक 1322/मप्रविनिआ/2019 – विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त अन्य समस्त शक्तियों से सामर्थ्यकारी बनाते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 में प्रथम संशोधन

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(एक) ये विनियम मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 में प्रथम संशोधन {एजी-44 (I), वर्ष 2019} कहलाएंगे।

(दो) इनका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा।

(तीन) ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 जिसे एतद् पश्चात् 'प्रधान विनियम' कहा गया है, में निम्नानुसार संशोधन किये जाएंगे, अर्थात्—**3. प्रधान विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,—**

(1) खण्ड (ख), (ङ) तथा (प) का लोप किया जाए।

(2) खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्—

“(छ) किसी विक्रेता हेतु किसी समय खण्ड में ‘विचलन’ से अभिप्रेत है, उसके कुल वास्तविक अन्तःक्षेपण में से उसके कुल अनुसूचित उत्पादन को घटाया जाना;”।

(3) खण्ड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“(ज) ‘गेमिंग’ इन विनियमों के संबंध में अभिप्रेत है, विक्रेता द्वारा विचलन प्रभार के माध्यम से असम्यक वाणिज्यिक लाभ प्राप्त करने हेतु उपलब्ध क्षमता की साशय मिथ्या-घोषणा;”।

(4) खण्ड (ढ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“(ढ-एक) ‘मापयंत्र वाचन उपकरण (एमआरआई)’ से अभिप्रेत है, एक मापयंत्र वाचन उपकरण जिसका उपयोग विशेष ऊर्जा मापयंत्रों (स्पेशल इनर्जी मीटर्स) से आंकड़ों के अधोभारण (डाउन लोडिंग) तथा संग्रहण (स्टोरेज) हेतु किया जाता है;”।

(5) खण्ड (थ) में, शब्दों ‘निकाय खाता’ के स्थान पर, शब्दों ‘राज्य विचलन निकाय खाता’ स्थापित किया जाए।

(6) खण्ड (द) में, परन्तुक में, अंत में सेमी कॉलन के पूर्व निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएं, अर्थात्:-

“तथापि, एक ही विकासकर्ता के विभिन्न साझे संभरक (फीडर) के ग्रिड उपकेन्द्र से संयोजित होने की दशा में प्रत्येक वैयक्तिक संभरक को पृथक निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन) के रूप में माना जाएगा।”

(7) खण्ड (ध) में, द्वितीय मद में, शब्द ‘मापन (मीटरिंग), डाटा संग्रहण/पारेषण, संसूचनाओं’ के स्थान पर, शब्द ‘मापन (मीटरिंग) एवं स्वचालित मापयंत्र वाचन (एमआर), आंकड़ा संग्रहण/पारेषण, दूरमापन (टेलीमीटरी) तथा संसूचनाओं’ स्थापित किए जाएं।

4. प्रधान विनियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“3. उद्देश्य तथा व्याप्ति :

(1) इन विनियमों का उद्देश्य ग्रिड नियंत्रण तथा ग्रिड सुरक्षा को बनाए रखना है, जैसा कि ग्रिड के उपयोगकर्ताओं द्वारा विद्युत् के अन्तःक्षेपण के माध्यम से विचलन व्यवस्थापन हेतु वाणिज्यिक क्रियाविधि के माध्यम से ग्रिड संहिता के अधीन परिकल्पना की गई है।

“(2) ये विनियम समस्त पवन विद्युत उत्पादकों जिनकी संयोजित स्थापित क्षमता 10 मेगावाट तथा इससे अधिक है तथा सौर विद्युत उत्पादकों जिनकी स्थापित क्षमता 5 मेगावाट तथा इससे अधिक है एवं उन्हें भी सम्मिलित करते हुए जो निकाय केन्द्रों (पूलिंग स्टेशन) के माध्यम से संयोजित हैं तथा राज्य के भीतर विद्युत का विक्रय कर रहे हैं, के संबंध में ऐसे विक्रेता(ओं) को लागू होंगे जो विद्युत के राज्यान्तरिक पारेषण या वितरण में, जैसा कि प्रकरण में लागू हो, लघुकालिक निर्बाध पहुंच (ओपन एक्सेस) अथवा मध्यमकालिक निर्बाध पहुंच अथवा दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच के माध्यम से सुकर बनाये गये संव्यवहारों में सन्निहित हैं :

परन्तु ये विनियम ऐसे समस्त पवन एवं सौर विद्युत उत्पादकों को भी लागू होंगे जो राज्य के बाहर निर्बाध पहुंच (ओपन एक्सेस) के अन्तर्गत राज्य के बाहर विद्युत का क्रय कर रहे हैं तथा एक मेगावाट तथा इससे अधिक की संयोजित स्थापित क्षमता धारित करते हैं ।”

5. प्रधान विनियम 4 में, -

(एक) प्रधान विनियमों में, विनियम चार के अन्तर्गत प्रथम पैरा की द्वितीय पंक्ति के अन्तर्गत शब्दों ‘तथा आहरण’ को विलोपित किया जाएगा ।

(दो) उप-विनियम (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“(7) समस्त राज्य इकाईयां को, अन्तःक्षेपण बिन्दुओं पर एवं राज्य भार प्रेषण केन्द्र पर सुदूर आंकड़ा अधोभारण (डाउनलोडिंग) हेतु स्वचालन मापयन्त्र वाचन (एमएमआर) सुविधा उपलब्ध कराने हेतु, उपयुक्त मापयन्त्र (मीटर), जो 15-मिनट के अन्तराल से ऊर्जा प्रवाह को प्रलेखित करने में सक्षम हों, स्थापित करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं करनी होगी ।”

(तीन) इस प्रकार स्थापित उप-विनियम (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़े जाएं, अर्थात्:-

“(8) ‘समस्त पवन एवं सौर विद्युत उत्पादक उन्हें भी सम्मिलित करते हुए जो निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन) के माध्यम से संयोजित हैं, को साझा अर्हतायुक्त समन्वय अभिकरण (क्यूसीए) नियुक्त करना होगा जो विद्युत उत्पादकों में से कोई भी एक या फिर परस्पर सम्मत अभिकरण होगा। यदि विद्युत उत्पादक राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी की गई सूचना (नोटिस) के दो माह की अवधि के भीतर साझा अर्हतायुक्त समन्वय अभिकरण (क्यूसीए) नियुक्त करने में विफल रहते हों तो राज्य भार प्रेषण केन्द्र संबंधित अनुज्ञप्तिधारी को चूककर्ता विद्युत उत्पादकों के विच्छेदन (वियोजन) हेतु परामर्श देगा। अनुज्ञप्तिधारी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र को सूचित करते हुए, तदनुसार कार्यवाही करेगा।

(9) जहां निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन) के पवन अथवा सौर विद्युत उत्पादकों की 50 प्रतिशत से भी अधिक स्थापित क्षमता द्वारा किसी विशिष्ट अर्हतायुक्त समन्वय अभिकरण (क्यूसीए) हेतु सहमति व्यक्त की गई हो वहां अवशेष विद्युत उत्पादकों को भी अनिवार्यतः उसी अर्हतायुक्त समन्वय अभिकरण (क्यूसीए) को नियुक्त करना अनिवार्य होगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र के निर्देशों का अपालन किये जाने पर, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा संबंधित अनुज्ञप्तिधारी को चूककर्ता विद्युत उत्पादकों के संयोजन को ग्रीड से विच्छेदित किये जाने का परामर्श दिया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी राज्य भार प्रेषण केन्द्र को सूचित करते हुए राज्य भार प्रेषण केन्द्र के निर्देशों का अनुपालन करेगा।”

विनियम 5 तथा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम स्थापित किए जाएं, अर्थात् :-

“ 5. विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि को परिचालन करने हेतु सिद्धान्त :

विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि की संरचना के अन्तर्गत निम्नलिखित मुख्य रूपांकन मापदण्ड सम्मिलित किए जाएंगे, यथा—(क) अनुसूचीकरण कालावधि, (ख) विचलन (ग) व्यवस्थापन कालावधि (घ) राज्य विचलन निकाय (पूल) खाते हेतु मापन इकाई (ङ) विचलन निकाय मूल्य वेक्टर।

(क) अनुसूचीकरण कालावधि : अनुसूचीकरण कालावधि में 96 समय खण्ड का समावेश होगा, प्रत्येक 15 मिनट की अवधि 00:00 बजे (आईएसटी, अर्थात्, भारतीय मानक समय) से प्रारंभ होकर 24:00 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होगी। अनुसूचीकरण कालावधि का प्रथम समय खण्ड 00:00 बजे (आईएसटी) से प्रारंभ होकर 00:15 बजे (आईएसटी) तक की कालावधि का, द्वितीय समय खण्ड 00:15 बजे (आईएसटी) से प्रारंभ होकर 00:30 बजे (आईएसटी) तक का होगा तथा यह सिलसिला आगे इसी प्रकार जारी रहेगा :

परन्तु यह कि अनुसूचीकरण कालावधि 288 समय खण्ड, प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के अध्यक्षीन, पुनरीक्षित की जा सकेगी तथा 00.00 बजे (आईएसटी) से प्रारंभ होकर 24.00 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होगी। तदनुसार, अन्तरापृष्ठ मापन व्यवस्था (इन्टरफेस मीटरिंग), ऊर्जा लेखांकन तथा विचलन व्यवस्थापन पांच मिनट की कालावधि के संव्यवहार करने हेतु सक्षम होने चाहिए। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु समस्त भविष्यगामी संसाधन नियोजन, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एवं संसूचना प्रणाली आवश्यकता के साथ-साथ अधोसंरचना विकास का दायित्व भी वहन करना होगा।

- (ख) राज्य विचलन निकाय (समूह) खाते : अर्हकारी पवन तथा सौर विद्युत उत्पादकों के मध्य विचलन व्यवस्थापन के प्रयोजन से राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रत्येक अर्हकारी पवन तथा सौर विद्युत निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन) हेतु अथवा सौर/पवन विद्युत उत्पादकों हेतु, जैसा कि प्रकरण में लागू हो, इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक अनुसूचीकरण अवधि के लिये विचलन निकाय (समूह) खातों की गणना करेगा जिनमें अधि-अन्तःक्षेपण (ओवर इन्जेक्शन) व अधो-अन्तःक्षेपण (अण्डर इन्जेक्शन) सम्मिलित होंगे।
- (ग) व्यवस्थापन कालावधि : क्षेत्रीय ऊर्जा खातों हेतु अनुसरण की जा रही क्रियाविधि के अनुरूप साप्ताहिक आधार पर 'विचलन निकाय (समूह) खाते' तैयार करने तथा व्यवस्थापन का कार्य हाथ में लिया जाएगा। जब तक सम्पूर्ण साप्ताहिक उपलब्धता आधारित विद्युत-दर (एबीटी) मापयंत्र आंकड़े, स्वचालित मापयंत्र वाचन (एमएमआर) अथवा मापयंत्र वाचन उपकरण (एमआरआई) अधोभारण (डाऊनलोड) से हस्तचालित आंकड़े प्राप्त किये जाएंगे, राज्य भार प्रेषण केन्द्र विचलन प्रभारों का लेखा (डेवियेशन चार्जज अकाउंट) इन विनियमों की अधिसूचना तिथि से अधिकतम तीन माह की अवधि तक मासिक आधार पर तैयार करेगा तथा जारी करेगा।
- (घ) विचलन निकाय (समूह) खाते हेतु मापन इकाई : विचलन निकाय (समूह) मात्रा (अधि-अन्तःक्षेपण/अधो-अन्तःक्षेपण) को तैयार करने हेतु मापन इकाई किलोवाट आवर्स (केडब्ल्यूएच) होगी। विचलन निकाय मूल्य (देय/प्राप्य) हेतु मापन इकाई भारतीय रुपये (आईएनआर) होगी। ऊर्जा इकाई (केडल्लूएच) तथा राशि (आईएनआर) के दशमलव घटक को निकटतम पूर्णांक तक पूरा किया जाएगा।

(ड) विचलन निकाय (पूल) मूल्य वेक्टर : विचलन हेतु प्रभार, विचलन मूल्य वेक्टर (डेवियेशन प्राईस वेक्टर) के अनुसार होंगे, जिन्हें आयोग द्वारा समय-समय पर, अधिसूचित किया जाएगा। पवन/सौर ऊर्जा उत्पादकों के विचलन हेतु मूल्यांकन के लिए पृथक उपचार, जैसे कि विनियम 6 के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए हों, लागू होंगे।

“6. पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण तथा गेमिंग का निष्कासन :

प्रक्रिया : क्षमता की घोषणा, अनुसूचीकरण तथा गेमिंग के निष्कासन हेतु मध्यप्रदेश विद्युत् ग्रिड संहिता तथा समय-समय पर यथा संशोधित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (मध्यप्रदेश राज्य में, राज्यांतरिक खुली पहुंच के लिए की निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2005 के उपबंध लागू होंगे तथा विस्तृत परिचालन प्रक्रिया को अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न किया गया है।

7. प्रधान विनियम 7, 8 एवं 9 का लोप किया जाए ।

8. प्रधान विनियम 10 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“(1) इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से दो माह के भीतर, राज्य भार प्रेषण केन्द्र “राज्य ऊर्जा समिति” का गठन करेगा तथा आयोग के अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् आवश्यक आदेश जारी करेगा।”।

आयोग के आदेशानुसार

शैलेन्द्र सक्सेना, सचिव

अनुलग्नक-1**मप्रविनिआ (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम 2018 के क्रियान्वयन हेतु****परिचालन प्रक्रिया :****1. भूमिका -**

यह प्रक्रिया मप्रविनिआ (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम 2018 के विनियम 6 (क) के अनुसार तैयार की गई है। इस प्रक्रिया को भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता, मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता, मप्रविनिआ (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005 तथा इस संबंध में जारी संशोधनों के सहयोगों के अनुसार पढ़ा जाएगा।

2. अर्हतायुक्त समन्वय अभिकरण (क्वालिफाइंग कोआरडीनेटिंग एजेंसी-क्यूसीए)**एक. अर्हतायुक्त समन्वय अभिकरण (क्यूसीए) हेतु अर्हकारी आवश्यकता**

पवन तथा सौर विद्युत उत्पादकों द्वारा अर्हतायुक्त समन्वय अभिकरण (क्यूसीए) की नियुक्ति हेतु सामान्य दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं :

अर्हतायुक्त समन्वय अभिकरण (क्यूसीए) कम्पनी अधिनियम, 1956/2013 के अधीन भारत में निगमित एक कम्पनी होगी।

- i. 'क्यूसीए' द्वारा पवन और/या सौर ऊर्जा पूर्वानुमान एवं अनुसूचीकरण के क्षेत्र में समुचित परिशुद्धता स्तर के साथ न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का पूर्वानुमान लगाने का अनुभव धारित करना होगा।
- ii. 'क्यूसीए' द्वारा विचलन प्रभावों (डेविएशन चार्ज) के विखण्डन हेतु निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन) से संयोजित बहुसंयन्त्र स्वामियों को प्रबंधित करने की योग्यता धारित करनी होगी।
- iii. 'क्यूसीए' की वित्तीय क्षमता इस प्रकार होगी ताकि वह नवकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक को प्रयोज्य विचलन प्रभावों के कारण अर्थदण्डों (पेनल्टी) के जोखिम का संव्यवहार करने की स्थिति में हो। इस बिन्दु पर विचार करते हुए, 'क्यूसीए' का शुद्ध मूल्य (नेट वर्थ) पूर्व वर्ष में न्यूनतम रु. 1.50 करोड़ (रुपए एक करोड़, पचास लाख) होना चाहिए जो सनदी

लेखापाल (चार्टर्ड अकाउंटेंट) द्वारा यथोचित उसके अंकक्षित लेखों के माध्यम से प्रतिबिंबित हो।

- iv. परिचालन आवश्यकताएं—'क्यूसीए' द्वारा वांछित परिणाम की प्राप्ति हेतु पूर्णतः कार्यात्मक पूर्वानुमान एवं अनुसूचीकरण साधन धारित करने होंगे।
- v. 'क्यूसीए' द्वारा पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, अनुसूची के पुनरीक्षण, अवरोधों/ग्रिड की सीमाबद्धताओं आदि के बारे में सूचित करने को सुकर बनाने हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र की ओर तथा उस ओर से भी सूचना के निर्बाध प्रवाह की सुसंगत प्रणाली संस्थापित की जाएगी तथा उसके द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र की ओर तथा उस ओर से भी सूचना के निर्बाध प्रवाह हेतु वास्तविक समय अनुश्रवण प्रणालियां संस्थापित कराने की योग्यता धारित करनी होगी।
- vi. 'क्यूसीए' द्वारा नवकरणीय संसाधन विश्लेषकों, प्रतिरूपण (मॉडलिंग), सांख्यिकीविदों, ऊर्जा प्रतिरूपकों (माडलरों) तथा 24x7 परिचालन व्यवस्था हेतु एक संस्थापित दल एवं अनुश्रवण दल धारित करना होगा।

टीप : परन्तु जब विद्युत उत्पादक(ी) द्वारा 'क्यूसीए', अग्रणी विद्युत उत्पादक अथवा वैयक्तिक विद्युत उत्पादक की सेवाएं 'क्यूसीए' के रूप में प्राप्त न की जा रही हों तो उसे/उन्हें उपरोक्त सरल क्रमांक (i) से (iii) में उल्लेखित उपरोक्त अर्हकारी आवश्यकताओं से छूट प्राप्त होगी।

दो. विद्युत उत्पादकों द्वारा अर्हतायुक्त समन्वय अभिकरण (क्यूसीए) की नियुक्ति -

- i. पवन तथा सौर विद्युत उत्पादक (एक से अधिक विधिक स्वामी वाले) उन्हें भी सम्मिलित करते हुए जो निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन) के माध्यम से राज्य ग्रिड से संयोजित हैं, एक साझे सुयोग्य अर्हतायुक्त समन्वय अभिकरण (क्यूसीए) की नियुक्ति सर्वसम्मति के आधार पर उक्त निकाय केन्द्र के अन्तर्गत विद्युत उत्पादकों में से परस्पर सम्मत निबन्धन तथा शर्तों के आधार पर करेंगे। अग्रणी विद्युत उत्पादकों में से कोई भी एक, उन्हें भी सम्मिलित करते हुए जो निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन) के माध्यम से राज्य ग्रिड से संयोजित हैं, सर्वसम्मति के अनुसार 'क्यूसीए' के रूप में कार्य कर सकता है तथा उसे राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा 'क्यूसीए' के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।
- ii. पवन तथा सौर ऊर्जा उत्पादक (एकल विधिक स्वामी) जो राज्य ग्रिड से प्रत्यक्ष रूप से या फिर निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन) के माध्यम से संयोजित हैं, 'क्यूसीए' को नियुक्त कर

सकेंगे या फिर 'क्यूसीए' के रूप में कार्य कर सकेंगे तथा उन्हें राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा 'क्यूसीए' के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।

- iii. यदि पवन अथवा सौर विद्युत उत्पादक, उन्हें भी सम्मिलित करते हुए जो निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन) के माध्यम से राज्य ग्रिड से संयोजित हैं, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी किये गये नोटिस की तिथि से दो (2) माह के भीतर साझे 'क्यूसीए' को नियुक्त करने में विफल रहते हों तो राज्य भार प्रेषण केन्द्र संबद्ध अनुज्ञप्तिधारी को ग्रिड से वियोजित/विच्छेदित करने हेतु सूचित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी राज्य भार प्रेषण केन्द्र को सूचित करते हुए निकाय केन्द्र/संभरक को ग्रिड से वियोजित/विच्छेदित करेगा।
- iv. जहां 50 प्रतिशत से भी अधिक पवन तथा सौर विद्युत उत्पादक जिनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनके द्वारा किसी विशिष्ट 'क्यूसीए' के पक्ष में निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन) के माध्यम से संयोजित किये जाने हेतु सहमति प्रकट की गई हो, वहां शेष विद्युत उत्पादकों को भी उसी अभिकरण को 'क्यूसीए' के रूप में नियुक्त करना अनिवार्य होगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र के निर्देशों का पालन न किये जाने पर राज्य भार प्रेषण केन्द्र संबंधित अनुज्ञप्तिधारी को चूककर्ता विद्युत उत्पादकों को ग्रिड से वियोजित/विच्छेदित करने हेतु सूचित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र को सूचित करते हुए ऐसे विद्युत उत्पादकों को ग्रिड से वियोजित/विच्छेदित करेगा।
- v. पवन तथा सौर विद्युत उत्पादक (एक से अधिक विधिक स्वामी वाले) जो राज्य ग्रिड से प्रत्यक्ष रूप से या फिर निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन) के माध्यम से संयोजित हैं, अनुलग्नक-दो में दर्शाये गये प्ररूप के अनुसार अपना सहमति पत्र तथा 'क्यूसीए' के साथ निष्पादित किये गये अनुबन्ध की प्रतिलिपि सहित, स्पष्ट रूप से 'क्यूसीए' का उल्लेख करते हुए, उन्हें भी सम्मिलित करते हुए जो पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन प्रभारों, मापन (मीटरिंग), स्काडा (SCADA) तथा विनियम मप्रविनिआ (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम 2018 तथा इस परिचालन प्रक्रिया के अन्तर्गत 'क्यूसीए' को निर्दिष्ट किये गये उत्तरदायित्वों के बारे में निकाय केन्द्र के माध्यम से ग्रिड से संयोजित हैं तथा समस्त विद्युत उत्पादकों की ओर से समन्वय हेतु उत्तरदायी होगा, प्रस्तुत करेगा।
- vi. समन्वित विद्युत उत्पादक(ों) की ओर से 'क्यूसीए' राज्य भार प्रेषण केन्द्र के साथ सम्पर्क का एकल बिन्दु होगा।

तीन. राज्य भार प्रेषण केन्द्र के साथ अर्हतायुक्त समन्वय अभिकरण (क्यूसीए) का पंजीयन -

- क. 'क्यूसीए' सर्वप्रथम अपने सहमति पत्र तथा विद्युत उत्पादक (जिनके द्वारा उसे 'क्यूसीए' नियुक्त किया गया है) के साथ निष्पादित अनुबन्ध की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा तथा तत्पश्चात् राज्य भार प्रेषण केन्द्र को पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- ख. 'क्यूसीए' राज्य भार प्रेषण केन्द्र को पंजीयन हेतु अपना आवेदन यथाविधि भरे गये संलग्न प्ररूप (अनुलग्नक-तीन), संलग्न वचनपत्र प्ररूप (अनुलग्नक-चार) तथा संलग्न घोषणा-पत्र प्ररूप (अनुलग्नक-पांच) के अनुसार प्रस्तुत करेगा।
- ग. राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पात्र 'क्यूसीए' का पंजीयन करते हुए उसे पंजीयन क्रमांक प्रदान किया जाएगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पंजीयन किये जाने पर 'क्यूसीए' को विनियम मप्रविनिआ (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम 2018 के प्रयोजन से राज्य इकाई माना जाएगा।
- घ. प्रत्येक निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन) में केवल एक ही 'क्यूसीए' होगा। तथापि, अनेक निकाय केन्द्रों के लिये एक ही 'क्यूसीए' का पंजीयन भी किया जा सकेगा। यदि किसी विशिष्ट पवन तथा ऊर्जा उत्पादक को अकेले ही निकाय केन्द्र से संयोजित किया जाता है तो ऐसा विद्युत उत्पादक भी 'क्यूसीए' के रूप में कार्य कर सकता है तथा स्वयं का पंजीयन यथाविधि आवेदन प्ररूप, वचन पत्र एवं घोषणा पत्र प्रस्तुति द्वारा करा सकेगा।
- ङ. यदि 'क्यूसीए' द्वारा पंजीयन को असत्य जानकारी के आधार पर या फिर सार्थक जानकारी को दबाकर/छिपाकर प्राप्त किया जाता है तो ऐसी इकाई के पंजीयन को निरस्त किया जा सकेगा।
- च. अधिकांश विद्युत उत्पादक जिनके द्वारा 'क्यूसीए' को नियुक्त किया गया है, द्वारा अनुरोध किये जाने पर 'क्यूसीए' के पंजीयन को निरस्त किया जा सकेगा।
- छ. 'क्यूसीए' द्वारा संबंधित विद्युत उत्पादकों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुति के आधार पर उनके पंजीयन को निरस्त किया जा सकेगा। तदनुसार, विद्युत उत्पादकों द्वारा किसी अन्य 'क्यूसीए' का चयन किया जाएगा तथा विद्यमान 'क्यूसीए' का पंजीयन निरस्त करने के तत्काल बाद उसका पंजीयन कराया जाएगा।
- ज. 'क्यूसीए' द्वारा मप्रविनिआ (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम 2018 के

विनियम 2(1)(ध) के अधीन रेखांकित किन्हीं निबन्धनों/शर्तों/नियमों का अपालन किये जाने पर राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा कथित 'क्यूसीए' का पंजीयन निरस्त किया जाएगा ।

चार. अर्हतायुक्त समन्वय अभिकरण ('क्यूसीए') की भूमिकाएं तथा उत्तरदायित्व -

'क्यूसीए' निम्न प्रयोजन हेतु निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन) से संयोजित समस्त विद्युत उत्पादकों की ओर से राज्य भार प्रेषण केन्द्र से सम्पर्क का एकल बिन्दु होगा :

- i. 'क्यूसीए' निकाय केन्द्र(II) से संयोजित समस्त पवन/सौर विद्युत उत्पादकों की ओर से 15 मिनट खण्डवार उपलब्ध क्षमता तथा विद्युत उत्पादन के पूर्वानुमान से संबंधित जानकारी दिवस-पूर्व आधार पर मय इसी के अन्तर्दिवस समयकालिक पुनरीक्षण के उपलब्ध करायेगा तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र से अनुसूचीकरण हेतु समन्वयन भी करेगा।
- ii. 'क्यूसीए' राज्य पारेषण उपयोगिता (एसटीयू)/विद्युत वितरण कम्पनियों/राज्य भार प्रेषण केन्द्र के प्रति विशेष ऊर्जा मापयंत्रों (एसईएम) मय स्वचालित मापयंत्र वाचन (एएमआर) सुविधा (मोडेम, एंटेना तथा सिम) व विशेष ऊर्जा मापयंत्र के राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा स्थापित किये गये स्वचालित मापयंत्र वाचन सर्वर के साथ समाकलन हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र पर सुदूर तौर पर (रिमोटली) मापयंत्र आंकड़ों के अधोभारण (डाऊनलोडिंग) हेतु उत्तरदायी होगा।
- iii. 'क्यूसीए' विशेष मापयंत्रों का समयकालिक परीक्षण तथा अंशांकन (कैलिब्रेशन) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी विनियम 'CEA (Installation and operation of Meters) Regulations' और मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता के अनुसार सुनिश्चित करेगा।
- iv. 'क्यूसीए' विचलन प्रभारों के वाणिज्यिक व्यवस्थापन का दायित्व वहन करेगा जिसमें विद्युत उत्पादकों की ओर से राज्य विचलन निकाय (समूह) खाते की ओर/की ओर से विचलन प्रभारों का भुगतान/प्राप्ति शामिल है।
- v. 'क्यूसीए' विद्युत उत्पादकों की ओर से राज्य विचलन निकाय (समूह) खाते से राशि (देय/प्राप्तियोग्य) के विखण्डन (डिपूलिंग) तथा इन्हें वैयक्तिक विद्युत उत्पादकों के साथ व्यवस्थापन करने का दायित्व वहन करेगा।
- vi. 'क्यूसीए' विद्युत उत्पादकों की ओर से समस्त प्रभारों के वाणिज्यिक व्यवस्थापन का दायित्व वहन करेगा जैसा कि इन्हें इन विनियमों के अन्तर्गत समय-समय यथासंशोधित विनिर्दिष्ट किया जाए।
- vii. 'क्यूसीए' किसी निकाय केन्द्र से संयोजित पवन तथा सौर विद्युत उत्पादकों से निष्पादित की गई संविदाओं के संबंध में विवरण प्रस्तुत करेगा। 'क्यूसीए' पवन तथा सौर विद्युत

उत्पादकों से शपथ-पत्र पर विद्युत क्रय अनुबन्ध (पीपीए) की प्रतिलिपि द्वारा समर्थित विद्युत क्रय अनुबन्ध की दरें प्राप्त करेगा तथा इन्हें राज्य भार प्रेषण केन्द्र को विचलन प्रभारों की संगणना (कम्प्यूटेशन) हेतु प्रस्तुत करेगा।

परन्तु यह कि राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किसी भी पक्ष से संबद्ध पवन तथा सौर आधारित विद्युत उत्पादकों की पूर्व सम्मति के बगैर ऐसी जानकारी को साझा नहीं किया जाएगा।

- viii. 'क्यूसीए' हेतु प्रति दिवस चौबीसों घंटे राज्य भार प्रेषण केन्द्र के दिशा-निर्देशों तथा अन्य सम्प्रेषण नीतियों तथा नवाचार (प्रोटोकॉल) के अनुसार राज्य भार प्रेषण केन्द्र से सम्पर्क तथा संप्रेषण हेतु नामांकित तथा अर्हतायुक्त परिचालक(ों) को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।
- ix. 'क्यूसीए' टरबाईन/प्रतीपक (इन्वर्टर) वार तथा निकाय केन्द्रों (पूलिंग स्टेशनों) के विवरण (स्थैतिक आंकड़े) रेन्यूबल इनर्जी मैनेजमेंट सेंटर (आरईएमसी) फार्मेट नामक नवकरणीय ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र प्ररूप में जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र के वैबस्थल (वैबसाईट) www.sldcmpindia.com → RE Generator info → REMC Format पर उपलब्ध हैं अथवा जैसा कि राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा चाहा गया हो, उपलब्ध करायेगा।
- x. 'क्यूसीए' लो वोल्टेज राईड थ्रू (एलवीआरटी) के परिचालन के आंकड़ों के मासिक आधार पर सम्प्रेषण संबंधी कार्यवाही में समन्वयन करेगा।
- xi. 'क्यूसीए' प्रामाणिक आंकड़े, समस्त टरबाईन/प्रतीपक (इन्वर्टर) वार तथा निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन) वार स्काडा आंकड़े तथा निकाय केन्द्र के पूर्वानुमान एवं अनुसूचीकरण आंकड़े तथा अन्य आवश्यक अभिलेख, पंजियां और लेखे संधारित करेगा तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अनुरोध किये जाने पर इन्हें प्रस्तुत करेगा।
- xii. 'क्यूसीए', 'क्यूसीए' की ओर से राज्य भार प्रेषण केन्द्र को उपलब्ध क्षमता (एवीसी) तथा अन्य मानदण्डों के आंकड़ों का विनिमय (आदान-प्रदान) सुनिश्चित करेगा और वैयक्तिक टरबाईनों/प्रतीपकों (इन्वर्टरों) की उपलब्ध क्षमता तथा संधारण अनुसूचियों के आंकड़ों के अन्तरण को निरन्तर राज्य भार प्रेषण केन्द्र के उपयोग हेतु विद्युत पूर्वानुमान तैयार करने तथा विचलन गणना के लिये सुनिश्चित करेगा।
- xiii. 'क्यूसीए' टरबाईन/प्रतीपक (इन्वर्टर) स्तर के स्काडा आंकड़ों का निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन) को अन्तरण वास्तविक समय में किया जाना सुनिश्चित करेगा तथा निकाय केन्द्र से संबंधित ग्रिड उपकेन्द्र के माध्यम से राज्य भार प्रेषण केन्द्र को इसका बाधारहित

सम्प्रेषण सुनिश्चित करेगा । दूरमापन आंकड़े प्रदाय संबंधी दिशा-निर्देश अनुलग्नक-छः में दर्शायेनुसार होंगे ।

3. विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि में सहभागिता हेतु पूर्व शर्तें :

राज्य इकाईयों द्वारा सहभागिता के लिये अत्यावश्यक पूर्वशर्तें तथा प्रसंविदाएं निम्नानुसार हैं :

- i. समस्त राज्य इकाईयों के साथ 'पवन एवं सौर विद्युत उत्पादकों की विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि' के संबंध में समान तथा भेदभावरहित व्यवहार किया जाएगा ।
- ii. राज्य इकाईया राज्य भार प्रेषण केन्द्र को ऊर्जा के विनिमय के संबंध में उनके द्वारा निष्पादित समस्त संविदा अनुबन्धों के बारे में सूचित करेंगी ।
- iii. राज्य भार प्रेषण केन्द्र स्टेशनों (केन्द्रों) को विद्युत प्रेषण के बारे में समस्त निर्णय पारेषण तन्त्र (नेटवर्क) में समस्त संभव तन्त्र मानदण्डों (नेटवर्क पैरामीटर्स), बाध्यताओं, संकुलनों के मूल्यांकन उपरान्त लेगा तथा किसी तन्त्र विपथगमन (एब्रेशन) की संभावना के बारे में राज्य भार प्रेषण केन्द्र के दिशा-निर्देश समस्त राज्य इकाईयों हेतु बाध्यकारी होंगे ।
- iv. राज्य इकाईयां अपने उपकरणों तथा भारों का संचालन ऐसी विधि द्वारा करेंगी जो समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आईईजीसी) तथा मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता के उपबन्धों से सुसंगत हो ।
- v. राज्य इकाईयां पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के साथ थोक विद्युत पारेषण अनुबन्ध (बीपीटीए) तथा संयोजन अनुबन्ध का निष्पादन करेंगी जिसके अन्तर्गत राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली तक भौतिक पहुंच तथा संयोजन की प्राप्ति हेतु विश्वसनीय प्रचालन हेतु भौतिक एवं परिचालन आवश्यकताएं विनिर्दिष्ट की जाएंगी या फिर वितरण प्रणाली के उपयोग हेतु संबद्ध वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ संयोजन एवं उपयोग अनुबन्ध को निष्पादित किया जाएगा, जैसा कि प्रकरण में लागू हो ।
- vi. राज्य भार प्रेषण केन्द्र अपने वैबस्थल (वैबसाईट) पर ऐसी समस्त जानकारी का प्रकाशन करेगा जैसा कि वह मप्रविनिआ (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक हो ।
- vii. समस्त राज्य इकाईयां उपयुक्त विशेष ऊर्जा मापयंत्र (एसईएम) स्थापित करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं करेंगी जो अन्तःक्षेपण बिन्दुओं पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विनियमों तथा ग्रिड संहिता के अनुसार 15 मिनट के अन्तराल से ऊर्जा प्रवाह के

अभिलेखन हेतु मय स्वचालित मापयंत्र वाचन सुविधा के (मोडेम, एंटीना तथा सिम) तथा विशेष ऊर्जा मापयंत्र के आंकड़ों के राज्य भार प्रेषण केन्द्र पर अधोभारण (डाऊनलोड) हेतु सक्षम हों ।

viii. जहां राज्य इकाईयां पवन अथवा सौर विद्युत उत्पादकों के रूप में साझे संभरकों पर राज्यांतरिक संव्यवहारों तथा अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों के उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रही हों वहां पर अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों को अनुज्ञेय किया जाएगा बशर्ते ऐसे विद्युत उत्पादकों को निकाय उपकेन्द्र (पूलिंग स्टेशन) के निम्न वोल्टेज पक्ष की ओर स्थापित पृथक संभरकों के साथ संयोजित किया जाए तथा ऐसे पवन अथवा सौर विद्युत उत्पादकों हेतु मापन व्यवस्था (मीटरिंग), अनुसूचीकरण, ऊर्जा लेखांकन तथा विचलन व्यवस्थापन लेखे पृथक से संघारित किए जाएं । तथापि, पवन अथवा सौर विद्युत उत्पादक जो समान निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन) से संयोजित हैं तथा इन विनियमों की अधिसूचना जारी होने से पूर्व राज्यान्तरिक तथा अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों के उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हों, को अपने संव्यवहारों को तीन वर्षों की अधिकतम अवधि हेतु अपने संव्यवहारों को जारी रखने की अनुमति प्रदान की जाएगी तथा उक्त समयावधि तक विद्युत उत्पादक को पृथक संभरक पर पृथक संयोजन प्राप्त करना होगा । ऐसे विद्युत उत्पादकों के संबंध में उपरोक्त उल्लेखित अवधि हेतु विचलन प्रभारों की गणना विद्युत उत्पादक छोर पर पृथक-पृथक अनुसूचियों तथा मापयंत्र आंकड़ों पर विचार करते हुए की जाएगी ।

ix. यदि नई तथा पुरानी पवन/सौर परियोजनाओं का अस्तित्व एक ही निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन) पर निर्भर हो तथा निकाय केन्द्र राज्य ग्रिड से संयोजित हों तो मप्रविनिआ (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 की अधिसूचना जारी होने की तिथि से विचलन प्रभारों की गणना हेतु परिशुद्ध त्रुटि की प्रयोज्यता इस प्रक्रिया की तालिका-चार के अनुसार होगी ।

4. उपलब्ध क्षमता, पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण एवं प्रेषण की घोषणा

- i. पवन तथा सौर विद्युत उत्पादक केन्द्रों की उपलब्ध क्षमता (एवीसी), पूर्वानुमान तथा अनुसूचीकरण की घोषणा मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता तथा उसके अनुवर्ती संशोधनों के अनुसार की जाएगी ।
- ii. अनुसूचीकरण अवधि का संयोजन 96 समय खण्डों (टाईम ब्लॉक) द्वारा किया जाएगा जिनमें प्रत्येक समय खण्ड की समयावधि 15 मिनट होगी जो मध्य रात्रि 00.00 बजे (आईएसटी, अर्थात् भारतीय मानक समय) से प्रारंभ होकर मध्य रात्रि 24.00 बजे

(आईएसटी) पर समाप्त होगी। प्रथम समय खण्ड की अनुसूचीकरण अवधि 00.00 बजे (आईएसटी) से प्रारंभ होकर 00.15 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होगी, द्वितीय समय खण्ड की अनुसूचीकरण अवधि 00.15 (आईएसटी) से प्रारंभ होकर 00.30 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होगी तथा यह सिलसिला आगे निरन्तर जारी रहेगा :

परन्तु आयोग द्वारा भविष्य में अधिसूचित की जाने वाली तिथि से, अनुसूचीकरण अवधि को प्रत्येक 5-मिनट की अवधि के 288 समय खण्डों में पुनरीक्षित किया जा सकेगा जो मध्य रात्रि 00.00 बजे (आईएसटी) से प्रारंभ होकर मध्य रात्रि 24.00 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होगा । तदनुसार, अन्तरापृष्ठ मापन व्यवस्था (इन्टरफेसिंग मीटरिंग), ऊर्जा लेखांकन एवं विचलन व्यवस्थापन की कार्यवाही संव्यवहारों को 5 मिनट की अवधि में पूर्ण किये जाने में सक्षम होनी चाहिए। समस्त भविष्यगामी संसाधन नियोजन, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सम्प्रेषण प्रणाली आवश्यकता और अधोसंरचना का विकास इस आवश्यकता के निर्वहन को दृष्टिगत रखते हुए किया जाएगा।

- iii. 'क्यूसीए' निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन) से संयोजित पवन एवं सौर विद्युत उत्पादकों की ओर से प्रत्येक निकाय केन्द्र (पवन/सौर) हेतु 15 मिनट समय खण्ड में उपलब्ध क्षमता (एवीसी) एवं पूर्वानुमानित विद्युत उत्पादन घोषित करेगा। उपलब्ध क्षमता तथा पूर्वानुमान को दिवस पूर्व आधार पर घोषित किया जाएगा तथा इसे वास्तविक समय प्रचालन के दौरान पुनरीक्षित किया जा सकेगा।
- iv. 'क्यूसीए' राज्य भार प्रेषण केन्द्र को अगले दिवस हेतु 15 मिनट के समय खण्ड में दिवस पूर्व उपलब्ध क्षमता (एवीसी) तथा पूर्वानुमान संलग्न प्ररूप (अनुलग्नक-सात) में प्रातः 10.00 बजे तक प्रस्तुत करेगा।
- v. ऐसे पवन एवं सौर विद्युत उत्पादक जो दीर्घ अवधि अथवा मध्यम अवधि अथवा लघु अवधि निर्बाध पहुंच (ओपन एक्सेस) के अन्तर्गत राज्यान्तरिक/अन्तर्राज्यीय विद्युत प्रदाय करने वाली राज्य इकाईयां हैं, की अनुसूची को राज्य भार प्रेषण केन्द्र को अग्रिम सूचना (नोटिस) देकर पुनरीक्षित किया जा सकेगा। ये पुनरीक्षण समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता के प्रावधानों के अनुसार किये जा सकेंगे।
- vi. 'क्यूसीए' विद्युत उत्पादक की उपलब्धता, मौसम के पूर्वानुमान, सौर सूर्यातापन (इन्सोलेशन)/प्रदीप्ति (इरेडिएंस), ऋतु तथा सामान्य विद्युत उत्पादन वक्र के आधार पर सौर विद्युत उत्पादक केन्द्रों की उपलब्ध क्षमता (एवीसी) तथा पूर्वानुमान प्रस्तुत करेगा।

केवल दिवस के दौरान ही सौर प्रदीप्ति की उपलब्धता पर विचार करते हुए 'क्यूसीए' द्वारा सौर विद्युत उत्पादक केन्द्रों हेतु उपलब्ध क्षमता (एवीसी) प्रातः 0.5:30 बजे से सायं 19.30 बजे तक के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

- vii. सामूहिक संव्यवहारों के माध्यम से विद्युत का विक्रय करने वाले पवन एवं सौर विद्युत उत्पादकों को अनुसूचियों के पुनरीक्षण की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- viii. राज्य भार प्रेषण केन्द्र 'क्यूसीए' द्वारा उपलब्ध क्षमता तथा पूर्वानुमान के प्रत्यक्ष ऊर्ध्व भारण (अपलोडिंग) की सुविधा हेतु एक वेब पोर्टल का सृजन करेगा। प्रत्येक 'क्यूसीए' को लॉगिन पहचान (आईडी) और सांकेतिक शब्द (पासवर्ड) प्रदान किये जाएंगे। लॉगिंग-इन के बाद 'क्यूसीए' के लिए दिवस पूर्व आधार पर उपलब्ध क्षमता (एवीसी) तथा पूर्वानुमान प्रस्तुत करना संभव हो जाएगा तथा वास्तविक समय प्रचालनों के दौरान पुनरीक्षित आंकड़े प्रस्तुत करेगा। 'क्यूसीए' इस वेब पोर्टल के माध्यम से तथा मेल आईडी **remcjb@gmail.com** पर भी उपलब्ध क्षमता (एवीसी) तथा पूर्वानुमान प्रस्तुत करेगा।
- ix. 'क्यूसीए' पवन/सौर विद्युत उत्पादकों के राज्यान्तरिक एवं अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों हेतु पृथक उपलब्ध क्षमता तथा पूर्वानुमान प्रस्तुत करेगा।
- x. सुरक्षित, सुनिश्चित तथा विश्वसनीय ग्रिड प्रचालन को सुकर बनाये जाने हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों से संबंधित विद्युत उत्पादन का पूर्वानुमान लगाया जाएगा। जब तक नवकरणीय ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र (आरईएमएस) पूर्णतया क्रियाशील न हो जाए राज्य भार प्रेषण केन्द्र विद्युत उत्पादन का पूर्वानुमान प्राप्त करने हेतु किसी पूर्वानुमान अभिकरण (फोरकास्टिंग एजेंसी) को नियोजित कर सकेगा। 'क्यूसीए' समस्त स्थैतिक आंकड़े, वास्तविक समय विद्युत प्रणाली मानदण्ड तथा मौसम संबंधी आंकड़े जैसा कि वे राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा टरबाइन/प्रतीपक स्तर तथा निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन) पर मय टरबाइन प्रतीपक अवरोध योजना (आउटेज प्लान) पूर्वानुमान लगाये जाने हेतु लागू होते हैं, उपलब्ध करायेगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पवन/सौर विद्युत उत्पादन के पूर्वानुमान को राज्य भार प्रेषण केन्द्र के वेबस्थल (वेबसाइट) पर प्रकाशित किया जाएगा।
- xi. 'क्यूसीए' के समक्ष राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी किये गये पूर्वानुमान या फिर राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा उनके स्वयं का अनुसूचीकरण प्रदान करने का विकल्प होगा। पवन/सौर विद्युत उत्पादकों अथवा 'क्यूसीए' द्वारा चयनित पूर्वानुमान पर आधारित अनुसूची से विचलन के कारण किसी वाणिज्यिक प्रभाव को तत्संबंधी विद्युत उत्पादकों/निकाय केन्द्रों (पूलिंग स्टेशनों) द्वारा वहन किया जाएगा। यदि विद्युत उत्पादक/'क्यूसीए'

अपनी अनुसूची की व्युत्पत्ति राज्य भार प्रेषण केन्द्र के पूर्वानुमान के आधार पर करते हैं तो वे यह तर्क नहीं लेंगे कि त्रुटि राज्य भार प्रेषण केन्द्र के त्रुटिपूर्ण पूर्वानुमान के कारण है, तथा विद्युत उत्पादक/‘क्यूसीए’ विचलन के कारण किसी वाणिज्यिक प्रभाव हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे ।

- xii. ‘क्यूसीए’ द्वारा पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों के निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन) वार दिवस पूर्व पूर्वानुमान के प्राप्त किये जाने पर राज्य भार प्रेषण केन्द्र पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों की प्रेषण अनुसूची जारी करेगा तथा इसे राज्य भार प्रेषण केन्द्र के वैबस्थल (वैबसाईट) पर ऊर्ध्वभारण (अपलोड) किया जाएगा ।
- xiii. आकस्मिकताओं, पारेषण की सीमाबद्धताओं, तन्त्र (नेटवर्क) में संकुलन, सुरक्षा प्रणाली को जोखिम होने की दशा में सुरक्षित तथा विश्वसनीय ग्रिड संचालन सुनिश्चित करने हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा मप्रविनिआ (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्र के कार्यक्रम (अनुसूची) में कटौती की जाएगी ।
- xiv. राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किसी नियोजित कटौती/विद्युत प्रदाय बन्द करने (शटडाऊन)/दिवस के दौरान कतिपय समय खण्डों में आवश्यक प्रणाली बाध्यता के प्रकरण में विद्युत उत्पादक/‘क्यूसीए’ राज्य भार पारेषण केन्द्र के परामर्श अनुसार स्थल पर विद्युत उत्पादन को प्रतिबंधित करने हेतु उत्तरदायी होगा तथा तदनुसार ‘क्यूसीए’/विद्युत उत्पादक कार्यक्रम (अनुसूची) का पुनरीक्षण करेगा ।
- xv. किसी अनियोजित कटौती/विद्युत प्रदाय बन्द करने (शटडाऊन)/पारेषण घटकों के विच्छेदन (ट्रिपिंग) या कटौती को हटाने/पारेषण घटकों की पुनर्स्थापना के प्रकरण में, इस प्रकार विद्युत उत्पादक द्वारा तत्काल समय खण्ड हेतु घटाई गई या बढ़ाई गई विद्युत उत्पादन क्षमताओं को विचलन व्यवस्थापन गणनाओं से (जब अनुसूचित विद्युत उत्पादन को उनके वास्तविक विद्युत उत्पादन के बराबर पुनरीक्षित किया गया माना जाएगा) चतुर्थ समय खण्ड तक, राज्य भार प्रेषण केन्द्र को संसूचित करने के बाद, छूट प्रदान की जाएगी जिसके अनुसार प्रथम समय खण्ड वह होगा जब राज्य भार प्रेषण केन्द्र को इस संबंध में सूचना प्रदान की गई हो ।
- xvi. राज्य भार प्रेषण केन्द्र ‘क्यूसीए’ द्वारा प्रदत्त पूर्वानुमान तथा दिवस के अन्तर्गत पुनरीक्षणों के आधार पर 15 मिनट खण्डवार कार्यान्वित अनुसूचियां तैयार करेगा तथा इन्हें राज्य भार पारेषण केन्द्र के वैबस्थल (वैबसाईट) पर तीन दिवस के भीतर प्रकाशित करेगा । राज्य भार

प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी की गई कार्यान्वित अनुसूचियां 'क्यूसीए' के परीक्षण/सत्यापन के लिये पांच दिवस की अवधि हेतु उपलब्ध रहेंगी। यदि 'क्यूसीए' द्वारा किसी चूक/त्रुटि के बारे में सूचित किया जाता है तो राज्य भार प्रेषण केन्द्र तत्काल इसका पूर्ण परीक्षण करेगा तथा इसमें उचित सुधार करेगा।

- xvii. पवन तथा सौर विद्युत उत्पादकों से उनके विद्युत उत्पादन केन्द्रों की उपलब्ध क्षमता सही प्रकार से घोषित करने की अपेक्षा की जाती है। यदि राज्य भार प्रेषण केन्द्र के संज्ञान में वास्तविक समय प्रचालन के दौरान उपलब्ध क्षमता की घोषणा में किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो इसे 'गेमिंग' माना जाएगा तथा इसे आयोग को प्रतिवेदित किया जाएगा।

5. मापन व्यवस्था (मीटरिंग) तथा आंकड़ा संग्रहण

- i. राज्य भार प्रेषण केन्द्र पर स्थापित किये गये स्वचालित मापयंत्र वाचन प्रणाली के माध्यम से मापयंत्र आंकड़े प्राप्त न होने की दशा में संबद्ध अनुज्ञप्तिधारी का यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि वह मापयंत्र आंकड़ों का अधोभारण (डाऊनलोडिंग) किये जाने की व्यवस्था करे तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को ईमेल आईडी -abtmpsem@gmail.com पर राज्य पारेषण केन्द्र द्वारा सूचित किये जाने के दो दिवस के भीतर इसे प्रदान करे। विद्युत वितरण कम्पनियां तथा राज्य पारेषण उपयोगिता (एसटीयू) द्वारा एक समन्वयन अधिकारी (नोडल आफिसर) को नामांकित किया जाएगा जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र को मापयंत्र आंकड़े उपलब्ध कराये जाने हेतु उत्तरदायी होगा।
- ii. पवन विद्युत उत्पादन केन्द्र में जहां कोई पृथक निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन) न हो तथा संभरक प्रत्यक्ष रूप से ग्रिड उपकेन्द्र से संयोजित हो, वहां इसे ग्रिड से संयोजित किये जाने से पूर्व मापन प्रांगण (मीटरिंग यार्ड) में स्थापित विशेष ऊर्जा मापयंत्र के बारे में पवन विद्युत उत्पादन केन्द्रों के विचलन प्रभारों की गणना हेतु विचार किया जाएगा।
- iii. सौर विद्युत उत्पादन केन्द्र में जहां कोई पृथक निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन) न हो तथा संभरक प्रत्यक्ष रूप से ग्रिड उपकेन्द्र से संयोजित हो, वहां इसे ग्रिड से संयोजित किए जाने से पूर्व ग्रिड उपकेन्द्र (सबस्टेशन) में स्थापित विशेष ऊर्जा मापयंत्र के बारे में सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों के विचलन प्रभारों की गणना हेतु विचार किया जाएगा।

6. विचलन प्रभारों की गणना

- क. राज्य भार प्रेषण केन्द्र 'क्यूसीए' द्वारा प्रस्तुत पूर्वानुमान/ राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी अनुसूचियां तथा संबद्ध विद्युत वितरण कम्पनियों/राज्य पारेषण उपयोगिता (एसटीयू) या स्वचालित मापयंत्र वाचन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त विशेष ऊर्जा मापयंत्र आंकड़ों पर

आधारित अर्हतायुक्त पवन तथा सौर निकाय केन्द्रों (पूलिंग स्टेशनों) के विचलन प्रभारों की गणना करेगा।

- ख. विचलन प्रभारों का लेखा साप्ताहिक आधार पर तैयार किया जाएगा जो क्षेत्रीय ऊर्जा लेखों हेतु अनुसरण की जा रही क्रियाविधि के अनुरूप होगा। जब तक संपूर्ण साप्ताहिक उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) मापयंत्र आंकड़े स्वचालित मापयंत्र वाचन प्रणाली या फिर मापयंत्र वाचन उपकरण (एमआरआई) द्वारा हस्तचालित आंकड़ा अधोभारण (डाऊनलोड) के माध्यम से प्राप्त किये जा रहे हैं, राज्य भार प्रेषण केन्द्र विचलन प्रभार लेखा मासिक आधार पर तैयार करेगा जिसे इन विनियमों की अधिसूचना तिथि से अधिकतम तीन माह की अवधि हेतु अनुज्ञेय किया जाएगा।
- ग. राज्य भार प्रेषण केन्द्र पवन तथा सौर निकाय केन्द्रों (पूलिंग स्टेशनों) के विचलन प्रभारों के लेखों का प्रकाशन राज्य भार प्रेषण केन्द्र वैबस्थल (वैबसाईट) पर करेगा जो तत्संबंधी इकाईयों के लिये उनके द्वारा जांच/सत्यापन हेतु 15 दिवस की अवधि हेतु खुले रखे जाएंगे। 'क्यूसीए' द्वारा कोई विसंगति/त्रुटि इंगित किये जाने पर राज्य भार प्रेषण केन्द्र तत्काल इसकी सम्पूर्ण जांच-पड़ताल करेगा, त्रुटि में सुधार करेगा तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र वैबस्थल पर विचलन प्रभारों के लेखों का पुनः प्रकाशन करेगा।
- घ. यदि 'क्यूसीए' या पवन/सौर विद्युत उत्पादक राज्य भार प्रेषण केन्द्र को उपलब्ध क्षमता तथा पूर्वानुमान उत्पादन के आंकड़े प्रस्तुत नहीं करते हैं तो ऐसे निकाय केन्द्रों (पूलिंग स्टेशनों) के विचलन प्रभारों की गणना उपलब्ध क्षमता तथा पूर्वानुमान विद्युत उत्पादन शून्य '0' मानकर की जाएगी।
- ङ. ऐसे पवन तथा सौर विद्युत उत्पादक जो राज्यान्तरिक तथा अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों के दायित्वों का वहन करते हैं उनके विचलन प्रभारों की गणना निम्न उपखण्डों में रेखांकित किए गए प्रावधानों के अनुसार की जाएगी :
- एक. अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों के दायित्वों का वहन करने वाले पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्र :
- (i) पवन/सौर विद्युत उत्पादक जो अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों के दायित्वों का वहन करने वाली राज्य इकाईयां हैं, का भुगतान अनुसूचित विद्युत उत्पादन के अनुसार किया जाएगा।
 - (ii) जहां वास्तविक विद्युत उत्पादन अनुसूचित विद्युत उत्पादन से कम हो वहां विद्युत उत्पादन में कमी हेतु विचलन प्रभारों का भुगतान ऐसे पवन या सौर विद्युत उत्पादक द्वारा जो राज्य

इकाईयां हैं, राज्य विचलन समूह खाते (स्टेट डेवियेशन पूल अकाउंट) से परिचालन प्रक्रिया के अन्त में संलग्न सारणी-एक में दर्शायेनुसार देय होगा।

- (iii) जहां वास्तविक विद्युत उत्पादन अनुसूचित विद्युत उत्पादन से अधिक हो वहां आधिक्य विद्युत उत्पादन हेतु विचलन प्रभारों का भुगतान पवन या विद्युत उत्पादकों को राज्य विचलन समूह खाते से परिचालन प्रक्रिया के अन्त में संलग्न सारणी-दो में दर्शायेनुसार देय होगा।
- (iv) सारणी-1 तथा सारणी-दो के अंतर्गत उल्लिखित नियत दर (फिक्सड रेट) विद्युत क्रय अनुबंध (पीपीए) दर है जैसा कि इसे आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 62 के अन्तर्गत अवधारित किया गया है या फिर इसे आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 63 के अन्तर्गत अपनाया गया है। बहु विद्युत क्रय अनुबंधों के प्रकरण में, विद्युत क्रय अनुबंध दरों के भारित औसत को नियत दर के रूप में लिया जाएगा। पवन तथा सौर विद्युत उत्पादक विचलन प्रभार खाता तैयार करने के प्रयोजन से राज्य भार प्रेषण केन्द्र को विद्युत क्रय अनुबंध दरों को शपथ पत्र पर प्रस्तुत करेंगे जिसके समर्थन में विद्युत क्रय अनुबंध की एक प्रति भी संलग्न की जाएगी।
- (v) निर्बाध पहुंच सहभागी जो विद्युत का विक्रय करते हैं जिसे क्रेता की नवकरणीय क्रय बाध्यता (आरपीओ) के रूप में लेख्यांकित नहीं किया जाता है तथा आबद्ध (केप्टिव) पवन अथवा सौर ऊर्जा संयंत्रों हेतु नियत दर राष्ट्रीय स्तर पर औसत विद्युत क्रय लागत (एपीपीसी) होगी जैसा कि इसका अवधारण केन्द्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर जारी पृथक आदेश के माध्यम से किया जाए।
- (vi) पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों के राज्य इकाईयों के रूप में अन्तर्राज्यीय चक्रण संव्यवहारों के बारे में, अनुसूची के संबंध में क्रेताओं के अनुपालन की नवकरणीय क्रय बाध्यता (आरपीओ) के सन्तुलन हेतु समस्त पवन तथा सौर विद्युत उत्पादक जो राज्य इकाईयां हैं, द्वारा विचलन को समस्त समूह (पूल) हेतु मासिक आधार पर सर्वप्रथम पृथक्कृत (नेट ऑफ) किया जाएगा तथा नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन में किसी अवशेष कमी को बराबर राशि के सौर तथा गैर-सौर नवकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों (आरईसी) के माध्यम से राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा या फिर उक्त अभिकरण द्वारा, जैसा कि प्रकरण में लागू हो, जो समूह खाता संधारित करती हो, समूह खाते से निधियों के उपयोग द्वारा सन्तुलित किया जाएगा। नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन के धनात्मक सन्तुलन हेतु बराबर राशि के काल्पनिक (नोशनल) नवकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र (आरईसी) विचलन व्यवस्थापन

क्रियाविधि समूह खाते में आकलित (क्रेडिट) किये जाएंगे तथा भविष्य में व्यवस्थापन हेतु आगे बढ़ाये (कैरी फारवर्ड) जाएंगे।

दो. राज्यान्तरिक संव्यवहारों के दायित्वों का वहन करने वाले पवन/सौर विद्युत उत्पादन केन्द्र:

- (i) पवन/सौर विद्युत उत्पादक जो राज्य इकाईयां हैं तथा राज्यान्तरिक संव्यवहारों के दायित्वों का वहन करती हों, का भुगतान वास्तविक विद्युत उत्पादन के अनुसार किया जाएगा।
- (ii) जहां विद्युत उत्पादन केन्द्र या फिर निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन), जैसा कि प्रकरण में लागू हो, का वास्तविक उत्पादन अनुसूचित उत्पादन से कम या अधिक हो वहां कम या अधिक विद्युत उत्पादन हेतु विचलन प्रभारों का भुगतान पवन तथा सौर विद्युत उत्पादक अथवा 'क्यूसीए' द्वारा, जैसा कि प्रकरण में लागू हो, राज्य विचलन समूह खाते को देय होगा जैसा कि परिचालन प्रक्रिया के अन्त में संलग्न सारणी-तीन या सारणी-चार में दर्शाया गया है।
- (iii) राज्य भार प्रेषण केन्द्र समस्त पवन तथा सौर विद्युत उत्पादकों हेतु समय-खण्डवार अनुसूचियों, वास्तविक विद्युत उत्पादन, विचलनों तथा विचलन प्रभारों के पृथक अभिलेख तथा लेखा संधारित करेगा।
- (iv) समस्त पवन तथा सौर विद्युत उत्पादकों को राज्य विचलन समूह खाते के अन्तर्गत एक साथ मिलकर एक वास्तविक निकाय (वर्चुअल पूल) माना जाएगा। इस वास्तविक निकाय हेतु तथा इसके अन्तर्गत भी पवन तथा सौर विद्युत उत्पादक केन्द्रों हेतु विचलनों का सर्वप्रथम व्यवस्थापन उपरोक्त दरों तथा क्रियाविधि द्वारा किया जा सकेगा।

7. विचलन प्रभारों का व्यवस्थापन

- i. राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा मप्रविनिआ (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 के अन्तर्गत उद्ग्रहित विचलनों हेतु प्रभारों का विवरण-पत्र मासिक आधार पर पवन तथा सौर निकाय केन्द्रों के विशेष ऊर्जा मापयंत्र (एसईएम) में अभिलेखित कार्यान्वयन अनुसूचियों तथा वास्तविक विद्युत उत्पादन आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाएगा। इन विनियमों की अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन माह के भीतर स्वचालित मापयंत्र वाचन (एएमआर) प्रणाली के माध्यम से सम्पूर्ण मापयंत्र आंकड़ों की प्राप्ति के बाद राज्य भार प्रेषण केन्द्र साप्ताहिक आधार पर विचलन प्रभारों की संगणना प्रारंभ करेगा।

- ii. मप्रविनिआ (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 के अन्तर्गत विचलन हेतु उद्ग्रहित प्रभारों के कारण प्राप्त किए गए समस्त भुगतानों को तथा ब्याज, यदि कोई हो, जिसे विलम्ब भुगतान के रूप में प्राप्त किया गया हो, का विकलन (क्रेडिट) "राज्य विचलन समूह खाते" नामक निधियों को किया जाएगा जिसका संधारण तथा संचालन राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किया जाएगा।

परन्तु यह कि -

- (क) आयोग आदेश पारित कर "राज्य विचलन समूह खाते" के संचालन तथा संधारण हेतु किसी अन्य इकाई को तत्संबंधी निर्देश प्रसारित कर सकेगा।
- (ख) विचलन हेतु प्रभारों के मूलधन घटक तथा ब्याज घटक हेतु खातों की पृथक पुस्तकें जैसा कि प्रकरण में लागू हो, राज्य भार प्रेषण केन्द्र संधारित की जाएंगी।
- iii. "राज्य विचलन समूह खाते" में प्राप्त किये गये भुगतानों का विनियोग (एप्रोप्रियेशन) निम्न क्रमानुसार किया जाएगा :
- (क) सर्वप्रथम, किसी लागत अथवा व्यय अथवा अन्य प्रभारों हेतु जो विचलन हेतु प्रभारों की वसूली हेतु व्यय किये गये हों।
- (ख) तत्पश्चात्, बकाया राशियों या दाण्डिक ब्याज हेतु।
- (ग) तत्पश्चात्, सामान्य ब्याज हेतु।
- (घ) अन्त में, विचलन हेतु प्रभारों के लिये।
- iv. विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि खाते (डीएसएम अकाउन्ट) तथा वाणिज्यिक व्यवस्थापन को जारी करने तथा इसके सुधार हेतु समय सीमाएं निम्न तालिका के अनुरूप होंगी :

| सरल क्रमांक | कार्यवाही | उत्तरदायित्व | समय सीमाएं |
|-------------|---|--------------------------|---------------------------|
| 1. | माह हेतु विचलन व्यवस्थापन खाते (डीएसएम अकाउन्ट) को वैबस्थल (वैबसाईट) पर प्रकाशित करना। प्रत्येक 'क्यूसीए' के अन्तर्गत प्रत्येक केन्द्र हेतु वास्तविक खाते में दिवसवार, खण्डवार विचलन प्रभारों को सम्मिलित किया जाएगा। | राज्य भार प्रेषण केन्द्र | अगले माह की 15वीं तिथि तक |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 2 | टिप्पणियां दाखिल करना/ संशोधन (सुधार) हेतु अनुरोध प्रस्तुत करना | 'क्यूसीए' | वैबस्थल (वैबसाईट) पर विचलन व्यवस्थापन खाते (डीएसएम अकाउंट) के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के भीतर |
| 3 | सुधार संबंधी कार्यवाही करना/ विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि खाते में संशोधन करना तथा इसका ईमेल/वैबस्थल (वैबसाईट) पर सम्प्रेषण करना। | राज्य भार प्रेषण केन्द्र | 'क्यूसीए' से सुधार हेतु अनुरोध प्राप्त करने के बाद दस दिवस के भीतर |
| 4 | समूह खाते (पूल अकाउंट) में देय विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि प्रभार | 'क्यूसीए' | राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि खाता जारी होने की तिथि से दस दिवस के भीतर |
| 5 | यदि विचलन हेतु प्रभारों के विरुद्ध भुगतान में दो दिवस से अधिक का विलंब हो, अर्थात् राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा विवरण-पत्र (स्टेटमेंट) जारी होने की तिथि से बारह (12) दिवस के बाद तो चूककर्ता 'क्यूसीए' को प्रत्येक दिवस के विलंब हेतु 0.04 प्रतिशत प्रति दिवस की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा। | 'क्यूसीए' | यदि विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि खाता जारी होने की तिथि से साठ दिवस की चूक होने के बाद भी भुगतान न किया जाए तो बैंक गारन्टी को निरस्त करने की प्रक्रिया के अतिरिक्त भी अन्य कोई कार्यवाही जैसी कि वह विधि/विनियमों के अन्तर्गत अनुज्ञेय हो, प्रारंभ की जा सकेगी। |
| 6 | समूह खाते से प्राप्त योग्य विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि प्रभार (डीएसएम चार्जज) | राज्य भार प्रेषण केन्द्र या अभिकरण जो समूह खाते का संधारण करता हो | 'क्यूसीए' जो विचलन व्यवस्था क्रियाविधि (डीएसएम) प्रभारों का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार रखता हो उसे राज्य विचलन समूह खाते में भुगतान प्राप्त होने के दो दिवस के भीतर उनका भुगतान कर दिया जाएगा। परन्तु यह कि : (क) राज्य विचलन समूह खाते में विचलनों से संबंधित प्रभारों तथा उस पर ब्याज राशि, यदि कोई हो, के भुगतान में विलंब होने की दशा में, जो विचलनों हेतु प्रभारों के विवरण-पत्र जारी होने की तिथि से 12 दिवस के बाद होगा, राज्य इकाईयां जिनके द्वारा विचलन अथवा उस पर ब्याज राशि प्राप्त किया जाना अपेक्षित है, को राज्य विचलन समूह खाते में उपलब्ध अवशेष राशि से भुगतान किया जाएगा। यदि उपलब्ध अवशेष राशि राज्य इकाईयों के भुगतान की पूर्ति हेतु अपर्याप्त हो तो राज्य विचलन समूह खातों से भुगतान उपलब्ध अवशेष राशि में से आनुपातिक आधार पर किया जाएगा। |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | (ख) "राज्य विचलन समूह खाते" में भुगतानों में विलंब हेतु ब्याज राशि के भुगतान की देयता इस बात पर विचार किये बिना तब तक रहेगी जब तक कि घटक जिनके द्वारा भुगतान प्राप्त किया जाना है, को "राज्य विचलन समूह खाते" में से आंशिक या पूर्ण भुगतान किया गया है, को ब्याज राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता है। |
|--|--|--|---|

8. विचलन प्रभारों के प्रति प्रतिभूति राशि का भुगतान :

अर्हतायुक्त समन्वयन अभिकरण ('क्यूसीए') को पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों के विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि (डीएसएम) प्रभारों के प्रति निम्न प्रतिभूति राशि बैंक गारंटी (बीजी) के रूप में राज्य विचलन समूह खाते में जमा करनी होगी :

- (i) सौर विद्युत उत्पादन हेतु-सौर विद्युत उत्पादन केन्द्र की स्थापित क्षमता के अनुसार, रु. 10,000/- प्रति मेगावाट की दर से ।
- (ii) पवन विद्युत उत्पादन हेतु-पवन विद्युत उत्पादन केन्द्र की स्थापित क्षमता के अनुसार, रु. 40,000/- प्रति मेगावाट की दर से ।
- (iii) प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी तीन वर्षों की अवधि हेतु वैध होगी जिसे मध्यप्रदेश राज्य स्थित किसी राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंक शाखा द्वारा जारी किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार इसकी समय-समय पर समयावृद्धि की जा सकेगी। प्रतिभूति राशि की समीक्षा राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि प्रभारों की वास्तविक घटना पर आधारित प्रति वर्ष मई माह के अन्त में की जाएगी।
- (iv) 'क्यूसीए' द्वारा "राज्य विचलन समूह खाते" में विचलन हेतु प्रभारों का विवरण पत्र जारी होने की तिथि से 12 दिवस की निर्दिष्ट अवधि के भीतर भुगतान न किए जाने पर तथा तत्पश्चात् विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि (डीएसएम) लेखा जारी होने के 60 दिवस की चूक होने के बावजूद भी उसके द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो राज्य भार प्रेषण केन्द्र संबद्ध 'क्यूसीए' की बैंक गारंटी का नगदीकरण कर सकेगा तथा संबद्ध 'क्यूसीए' को इसकी राशि की प्रतिपूर्ति (रिक्यूपमेंट) 1 (एक) माह की अवधि के भीतर करनी होगी । तथापि, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा साप्ताहिक विवरण पत्र प्रक्रिया के क्रियान्वयन के बाद, प्रतिपूर्ति अवधि को 15 दिवस तक कम कर दिया जाएगा ।

9. राज्य भार प्रेषण केन्द्र के निर्देशों का अनुपालन :

इन प्रक्रियाओं के अन्तर्गत भले ही कुछ भी विनिर्दिष्ट क्यों न किया गया हो, पवन/सौर विद्युत उत्पादक और 'क्यूसीए' राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अन्तःक्षेपण (इन्जेक्शन) के संबंध में ग्रिड सुरक्षा तथा ग्रिड अनुशासन के हित में जारी निर्देशों का कठोरतापूर्वक अनुसरण किया जाएगा।

10. चूक की घटनाएं तथा जुड़े परिणाम

निम्न घटनाएं 'क्यूसीए' / विद्युत उत्पादकों द्वारा चूक किये जाने का निमित्त बनेंगे :

- (क) 'क्यूसीए' / विद्युत उत्पादकों द्वारा विचलन प्रभारों का भुगतान न किया जाना या फिर इनके भुगतान में विलंब किया जाना।
- (ख) इस प्रक्रिया तथा मप्रविनिआ (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 के अंतर्गत रेखांकित किन्हीं भी निबन्धनों/ शर्तों/ नियमों का अपालन।
- (ग) राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी किसी दिशा-निर्देश का अपालन जब तक ऐसे दिशा-निर्देश मप्रविनिआ (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 के किसी भी उपबन्ध से असंगत न हों।
- (घ) जब असत्य सूचना के आधार पर या भौतिक सूचना को दबा/छुपा कर पंजीकरण प्राप्त किया गया हो।

उपरोक्त चूकों के फलस्वरूप की जाने वाली अनुवर्ती कार्यवाही :

- क) ग्रिड से वियोजित (विच्छेद) करने संबंधी नोटिस जारी करने से पूर्व राज्य भार प्रेषण केन्द्र 'क्यूसीए' / विद्युत उत्पादक को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का समय देगा।
- ख) यदि 'क्यूसीए' / विद्युत उत्पादक राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा नोटिस में अभिव्यक्त चूक का निराकरण/सुधार निर्दिष्ट की गई समयावधि के भीतर करने में विफल रहता हो तो राज्य भार प्रेषण केन्द्र 'क्यूसीए' का पंजीकरण निरस्त करने तथा ग्रिड से वियोजन (विच्छेदन) संबंधी कार्यवाही प्रारंभ कर सकेगा।

11. कठिनाईयां दूर करना

इस प्रक्रिया के क्रियान्वयन में किसी कठिनाई के बारे में प्रक्रिया की समीक्षा अथवा पुनरीक्षण हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र समस्या के निराकरण हेतु वांछित विवरण के साथ आयोग से सम्पर्क कर सकेगा।

अनुसूची :- पवन/सोलर उत्पादन स्टेशनों हेतु विचलन प्रभार

सारणी - एक :- राज्य इकाईयों, अन्तर्राज्यीय संव्यवहार उपक्रम के रूप में पवन/सोलर उत्पादन स्टेशनों द्वारा कम आवक के मामले में विचलन प्रभार

| अनुक्रमांक | 15 मिनट समय-खण्ड में पूर्ण त्रुटि | राज्य विचलन समूह खाता को देय विचलन प्रभार |
|------------|---|---|
| 1. | ≤ 15 प्रतिशत | पूर्ण त्रुटि हेतु ऊर्जा में कमी हेतु दर 15 प्रतिशत तक की नियत दर से |
| 2. | > 15 प्रतिशत किन्तु ≤ 25 प्रतिशत | (पूर्ण त्रुटि हेतु ऊर्जा में कमी हेतु नियत दर पर 15 प्रतिशत) + (15 प्रतिशत से अधिक तथा 25 प्रतिशत तक अतिशेष ऊर्जा हेतु नियत दर का 110 प्रतिशत) |
| 3. | > 25 प्रतिशत किन्तु ≤ 35 प्रतिशत | (पूर्ण त्रुटि हेतु ऊर्जा में कमी हेतु 15 प्रतिशत तक) + (15 प्रतिशत से अधिक तथा 25 प्रतिशत तक अतिशेष ऊर्जा हेतु नियत दर का 110 प्रतिशत) + (25 प्रतिशत से अधिक तथा 35 प्रतिशत तक अतिशेष ऊर्जा हेतु नियत दर 120 प्रतिशत) |
| 4. | > 35 प्रतिशत | (पूर्ण त्रुटि हेतु ऊर्जा में कमी हेतु 15 प्रतिशत तक) + (15 प्रतिशत से अधिक तथा 25 प्रतिशत तक अतिशेष ऊर्जा हेतु नियत दर का 110 प्रतिशत) + (25 प्रतिशत से अधिक तथा 35 प्रतिशत तक अतिशेष ऊर्जा हेतु नियत दर का 120 प्रतिशत) + (35 प्रतिशत से अधिक अतिशेष ऊर्जा हेतु नियत दर 130 प्रतिशत) |

सारणी - दो : - राज्य इकाईयों, अन्तर्राज्यीय संव्यवहार उपक्रम के रूप में पवन/सोलर उत्पादन स्टेशनों द्वारा अधिक आवक के मामले में विचलन प्रभार

| अनुक्रमांक | 15 मिनट समय-खण्ड में पूर्ण त्रुटि | राज्य विचलन समूह खाता को देय विचलन प्रभार |
|------------|---|--|
| 1. | ≤ 15 प्रतिशत | 15 % प्रतिशत तक अधिक ऊर्जा हेतु नियत दर पर |
| 2. | > 15 प्रतिशत किन्तु ≤ 25 प्रतिशत | (15 % प्रतिशत तक अधिक ऊर्जा हेतु नियत दर) + (15 % से अधिक तथा 25 प्रतिशत तक अधिक ऊर्जा हेतु नियत दर का 90 प्रतिशत) |
| 3. | > 25 प्रतिशत किन्तु ≤ 35 प्रतिशत | (15 % तक अधिक ऊर्जा हेतु नियत दर) + (15 प्रतिशत से अधिक तथा 25 प्रतिशत तक अधिक ऊर्जा हेतु नियत दर का 90 प्रतिशत) + (25 प्रतिशत से अधिक तथा 35 प्रतिशत तक अधिक ऊर्जा हेतु नियत दर का 80 प्रतिशत) |
| 4. | > 35 प्रतिशत | (15 % प्रतिशत तक अधिक ऊर्जा हेतु नियत दर) + (15 प्रतिशत से अधिक तथा 25 प्रतिशत तक अधिक ऊर्जा हेतु नियत दर का 90 प्रतिशत) + (25 प्रतिशत से अधिक तथा 35 प्रतिशत तक अधिक ऊर्जा हेतु नियत दर का 80 प्रतिशत) + (35 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा हेतु नियत दर 70 प्रतिशत) |

सारणी - तीन - राज्य के भीतर ऊर्जा विक्रय हेतु इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख के पश्चात् चालू पवन/सोलर उत्पादन स्टेशनों द्वारा कम आवक या अधिक आवक के मामले में विचलन प्रभार

| अनुक्रमांक | 15 मिनट समय-खण्ड में पूर्ण त्रुटि | राज्य विचलन समूह खाता को देय विचलन प्रभार |
|------------|---|--|
| 1. | ≤ 10 प्रतिशत | कोई नहीं |
| 2. | > 10 प्रतिशत किन्तु ≤ 20 प्रतिशत | 10 प्रतिशत से अधिक तथा 20 प्रतिशत तक पूर्ण त्रुटि हेतु कम या अधिक ऊर्जा हेतु प्रति यूनिट ₹0 0.50) |
| 3. | > 20 प्रतिशत किन्तु ≤ 30 प्रतिशत | 10 प्रतिशत से अधिक तथा 20 प्रतिशत तक पूर्ण त्रुटि हेतु कम या अधिक ऊर्जा हेतु प्रति यूनिट ₹0 0.50) + (20 प्रतिशत से अधिक तथा 30 प्रतिशत तक अतिशेष ऊर्जा हेतु प्रति यूनिट ₹0 1.00) |
| 4. | > 30 प्रतिशत | 10 प्रतिशत से अधिक तथा 20 प्रतिशत तक पूर्ण त्रुटि हेतु कम या अधिक ऊर्जा हेतु प्रति यूनिट ₹0 0.50) + (20 प्रतिशत से अधिक तथा 30 प्रतिशत तक कम या अधिक ऊर्जा हेतु प्रति यूनिट ₹0 1.00) + (30 प्रतिशत तक अतिशेष ऊर्जा हेतु प्रति यूनिट ₹0 1.50) |

सारणी – चार : राज्य के भीतर ऊर्जा विक्रय हेतु इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पूर्व चालू पवन/सोलर उत्पादन स्टेशनों द्वारा कम आवक या अधिक आवक के मामले में विचलन प्रभार

| अनुक्रमांक | 15 मिनट समय-खण्ड में पूर्ण त्रुटि | राज्य विचलन समूह खाता को देय विचलन प्रभार |
|------------|---|--|
| 1. | ≤ 15 प्रतिशत | कोई नहीं |
| 2. | > 15 प्रतिशत किन्तु ≤ 25 प्रतिशत | (15 प्रतिशत से अधिक तथा 25 प्रतिशत तक पूर्ण त्रुटि हेतु कम या अधिक ऊर्जा हेतु प्रति यूनिट ₹0 0.50) |
| 3. | > 25 प्रतिशत किन्तु ≤ 35 प्रतिशत | (15 प्रतिशत से अधिक तथा 25 प्रतिशत तक पूर्ण त्रुटि हेतु कम या अधिक ऊर्जा हेतु प्रति यूनिट ₹0 0.50) + (25 प्रतिशत से अधिक तथा 35 प्रतिशत तक अतिशेष ऊर्जा से अधिक हेतु प्रति यूनिट ₹0 1.00) |
| 4. | > 35 प्रतिशत | (15 प्रतिशत से अधिक तथा 25 प्रतिशत तक पूर्ण त्रुटि हेतु कम या अधिक ऊर्जा हेतु प्रति यूनिट ₹0 0.50) + (25 प्रतिशत से अधिक तथा 35 प्रतिशत तक कम या अधिक ऊर्जा हेतु प्रति यूनिट ₹0 1.00) + (35 प्रतिशत से अधिक अतिशेष ऊर्जा हेतु प्रति यूनिट ₹0 1.50) |

अनुलग्नक-दो

सहमति पत्र प्ररूप

प्रति

मुख्य अभियन्ता,
राज्य भार प्रेषण केन्द्र,
एमपीपीटीसीएल, नयागांव,
जबलपुर - 482008

विषय:- मप्रविनिआ (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 के अनुसार अर्हतायुक्त समन्वयन अभिकरण (क्यूसीए) की नियुक्ति।

महोदय,

निवेदन है कि पवन/सौर विद्युत उत्पादन केन्द्र के बतौर (नाम) निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन) हेतु मेरे/हमारे द्वारा मप्रविनिआ (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 के अनुसार कथित केन्द्र के पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण एवं वाणिज्यिक व्यवस्थापन हेतु एक मात्र को अर्हतायुक्त समन्वयन अभिकरण (क्यूसीए) नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।
..... (नाम) निकाय केन्द्र पर हमारी क्षमता (मेगावाट) है जिसके विवरण निम्नानुसार हैं :

| सरल क्रमांक | ग्राहक का नाम | पवन टरबाइन उत्पादकों/पैनलों की संख्या | सम्पर्क व्यक्ति का नाम | मेल आईडी दूरभाष सम्पर्क | क्षमता मेगावाट में |
|-------------|---------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | नाम | Y | नाम | मेल आईडी दूरभाष सम्पर्क | |

निवेदन है कि तात्कालिक प्रभाव से (नाम) निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन) पर 'क्यूसीए' की भूमिका का निर्वहन द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

सम्पर्क सूत्र क्रमांक 1 (व्यक्ति का नाम)

पता

दूरभाष (कार्यालय)

सम्पर्क सूत्र क्रमांक 2 (व्यक्ति का नाम)

मोबाईल , (ई मेल)

सम्पर्क सूत्र क्रमांक 3 (व्यक्ति का नाम)

(कार्यालय) , (ई मेल)

उपरोक्त जानकारी सूचनार्थ एवं अभिलेखार्थ प्रस्तुत है।

शुभेच्छु,

हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम

हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का पदनाम

अनुलग्नक-तीन

राज्य भार प्रेषण केन्द्र में अर्हतायुक्त समन्वय अभिकरण (क्वालिफाईड कोआर्डिनेटिंग एजेन्सी-क्यूसीए) के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र

| सरल क्रमांक | विवरण | |
|-------------|--|--|
| 1 | निवेदन का आशय-जो लागू हो उस पर सही निशान अंकित करें | नवीन पंजीयन/पंजीयन में परिवर्तन/पंजीयन का निरस्तीकरण |
| 2 | अर्हतायुक्त समन्वय अभिकरण (क्वालिफाईड कोआर्डिनेटिंग एजेन्सी-क्यूसीए) का नाम | |
| 3 | पंजीकृत पता | |
| 4 | कार्यालय का दूरभाष क्रमांक/ फैक्स/ ई-मेल | |
| 5 | नियंत्रण कक्ष का दूरभाष क्रमांक/ फैक्स/ ई-मेल | |
| 6 | समन्वयन अधिकारी/सम्पर्क सूत्र का नाम, पदनाम, पता, मोबाईल, फैक्स तथा ई-मेल संबंधी जानकारी | |
| 7 | निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन) वार कुल पवन/सौर विद्युत उत्पादन क्षमता जिस हेतु 'क्यूसीए' पंजीयन की आवश्यकता है | |
| 8 | निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन) वार विद्युत उत्पादकों की सूची मय सहमति पत्र के तथा विद्युत उत्पादकों से निष्पादित अनुबन्ध की प्रतिलिपि संलग्न है। सूची में निम्न से संबंधित जानकारी सम्मिलित है-निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन) (नाम तथा पता), क्षमता मेगावाट में, प्रकार, वोल्टेज किलोवाट में, ग्रिड उपकेन्द्र का नाम, संयोजित विद्युत उत्पादकों के नाम मय क्षमता मेगावाट में | |
| 9 | 'क्यूसीए' तथा विद्युत उत्पादकों के मध्य अनुबन्ध के क्रियाशील होने की तिथि | |

| | | |
|-------|---|--------------------------------|
| 10 | विद्युत उत्पादकों के साथ अनुबन्ध की अवधि | |
| 11. | राज्य भार प्रेषण केन्द्र को देय पंजीकरण शुल्क के विवरण (रीति/क्रमांक/दिनांक) | |
| 12 | विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि (डीएसएम) के संव्यवहार हेतु 'क्यूसीए' का बैंक खाता संबंधी विवरण | |
| (i) | बैंक खाता क्रमांक - | |
| (ii) | बैंक IFSC कोड - | |
| (iii) | बैंक का नाम - | |
| (iv) | बैंक का पता - | |
| 13 | वचनबद्धता (अण्डरटेकिंग) | |
| (i) | हम एतद् द्वारा वचन देते हैं कि हम मप्रविनिआ (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 तथा इससे संबंधित अनुवर्ती संशोधनों के विनियामक उपबन्धों के अनुपालन के बारे में राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन करेंगे। | |
| (ii) | हम एतद् द्वारा यह वचन भी देते हैं कि हम अनुबन्ध के समापन/उल्लंघन के बारे में, यदि कोई हो, तो राज्य भार प्रेषण केन्द्र को सूचित करेंगे तथा 'क्यूसीए' के दायित्वों का निर्वहन विद्युत उत्पादकों के वैध प्राधिकार के बिना निष्पादित नहीं करेंगे। | |
| (iii) | हम मप्रविनिआ द्वारा समय-समय पर यथाअनुमोदित पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने की भी सहमति प्रदान करते हैं। | |
| | | |
| | | |
| | | प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर |

अनुलग्नक-चार

**भावी अर्हतायुक्त अभिकरण (क्वालिफाईड कोआर्डिनेटिंग एजेन्सी-क्यूसीए) द्वारा पंजीकरण के समय
प्रस्तुत किये जाने वाला वचन-पत्र**

नाम : मेसर्स ('क्यूसीए' का नाम) (डाक का पता)
(इस वचन पत्र को क्यूसीए द्वारा 100 रुपये की राशि के स्टैम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाएगा)

- हम, अर्हतायुक्त समन्वय अभिकरण (क्यूसीए) के रूप में मप्रविनिआ (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 तथा इसके अनुवर्ती संशोधनों द्वारा नियंत्रित होंगे।
- हम, अर्हतायुक्त समन्वय अभिकरण (क्यूसीए) के रूप में मप्रविनिआ विनियमों के अनुसार निकाय केन्द्रों (पूलिंग स्टेशन)/नवकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादकों के विचलन प्रभारों के व्यवस्थापन हेतु उत्तरदायी होंगे जिस हेतु हम 'क्यूसीए' के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं।
- मप्रविनिआ विनियमों के अनुसार, हम 'क्यूसीए' के रूप में पवन तथा सौर निकाय केन्द्रों (पूलिंग स्टेशनों)/राज्य भार प्रेषण उपयोगिता से संयोजित नवकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक/विद्युत वितरण कम्पनी उपकेन्द्रों की ओर से राज्य भार प्रेषण केन्द्र को दिवस पूर्व आधार पर पूर्वानुमान अनुसूचियां उपलब्ध कराये जाने हेतु सहमति प्रदान करते हैं।
- हम, 'क्यूसीए' के रूप में, 'क्यूसीए' की नियुक्ति बाबत निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन)/नवकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक से संयोजित समस्त विद्युत उत्पादकों से सहमति पत्र (consent letter) प्रस्तुत करने की सहमति प्रदान करते हैं।
- हम भलीभांति यह समझते हैं कि विनियमों के अनुसार हम दिवस पूर्व अनुसूचियों का पुनरीक्षण अधिकतम पुनरीक्षणों हेतु ही कर सकते हैं।
- हम सहमति देते हैं कि यदि अनुसूची में कोई विचलन होगा तो ऐसी ऊर्जा हेतु विचलन प्रभार समय-समय पर यथासंशोधित मप्रविनिआ विनियमों के अनुसार प्रयोज्य होंगे।
- हम निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन) तथा नवकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादकों से संयोजित पवन तथा सौर विद्युत उत्पादकों की ओर से राज्य भार पारेषण केन्द्र अथवा एमपी पावर मैनेजमेंट के साथ वाणिज्यिक व्यवस्थापनों हेतु उत्तरदायी होंगे।
- हम भलीभांति यह समझते हैं कि राज्य भार पारेषण केन्द्र निकाय केन्द्रों (पूलिंग स्टेशन) हेतु विचलन प्रभारों की गणना मप्रविनिआ (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 के अनुसार करेगा तथा इसे अपने वैबस्थल (वैबसाईट) पर मासिक आधार पर प्रकाशित करेगा।
- हम, 'क्यूसीए' के रूप में समस्त संव्यवहारों अर्थात् लेन-देन हेतु समय-समय पर यथासंशोधित मप्रविनिआ (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 के उपबन्धों का पालन करेंगे।
- हम अनुश्रवण तथा बिलिंग के प्रयोजन से प्रक्रियानुसार टरबाइन/प्रतीपक (इन्वर्टर) तथा निकाय केन्द्र के आवश्यक स्काडा आंकड़ों की स्थापना करेंगे।
- विद्युत उत्पादन प्रणाली में कोई दोष होने की दशा में जिसके फलस्वरूप विद्युत उत्पादन में गिरावट आती हो, तो हम पूर्वानुमान का पुनरीक्षण करेंगे तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को प्रक्रियानुसार इसके बारे में अवगत करायेंगे।
- हम सौर विद्युत उत्पादन हेतु रु. 10,000 प्रति मेगावाट तथा पवन विद्युत उत्पादन हेतु रु. 40,000 प्रति मेगावाट की समकक्ष राशि की बैंक गारंटी का भुगतान करने की सहमति प्रदान करते हैं।

13. हम राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूपों के अनुसार पवन टरबाईन उत्पादक (डब्ल्यूटीजी)/प्रतीपक (इन्वर्टर) वार स्थैतिक आंकड़े एवं निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन) विवरण प्रदान करने की सहमति प्रदान करते हैं।

14. हम सहमति प्रदान करते हैं कि यदि विचलन प्रभारों हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि जारी होने की तिथि से प्रभारों के विरुद्ध भुगतानों में दो दिवस से अधिक का विलम्ब होता है, अर्थात् बारह (12) दिवस से अधिक का, तो चूककर्ता 'क्यूसीए' को विलम्ब के प्रत्येक दिवस हेतु 0.04 प्रतिशत प्रति दिवस की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा। हम आगे यह सहमति भी प्रदान करते हैं कि यदि विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि लेखा जारी होने पर हमारे द्वारा 60 दिवस की चूक के बाद भी भुगतान नहीं किया जाता है तो राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा बैंक गारंटी निरस्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी।

15. हम एतद् द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र, एमपीपीटीसीएल, जबलपुर मध्यप्रदेश के साथ 'क्यूसीए' के रूप में पंजीकरण हेतु उपरोक्त निबन्धन और शर्तों के पालन हेतु सहमति प्रदान कर रहे हैं।

बैंक गारंटी के विवरण संलग्न है।
(क्यूसीए का नाम तथा डाक पता)

.....
निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन) हेतु :

एमपीपीटीसीएल/विद्युत वितरण कम्पनी उपकेन्द्र स्टेशन :

अन्तःक्षेपण बिन्दु पर वोल्टेज स्तर :

निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन) से संयोजित विद्युत उत्पादकों की सूची मय उनकी स्थापित क्षमता के जिस हेतु सहमति प्राप्त की जा रही है :

- 1.
- 2.

घोषणा : उपरोक्त समस्त कथन सत्य तथा सही हैं।

'क्यूसीए' का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

अनुलग्नक-पांच

घोषणा-पत्र

{यह घोषणा-पत्र आवेदक (क्यूसीए) के प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा}

मैं/हम यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि प्रस्तुत की गई समस्त जानकारी मेरे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सही है।

मैं/हम ऐसी निबंधन तथा शर्तों का पालन करूंगा/करेंगे जैसी कि वे मप्रविनिआ, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा समय-समय पर सौर तथा पवन विद्युत उत्पादन हेतु पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण तथा विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि में सहभागिता हेतु अधिरोपित की जाएं।

मैं/हम एतद् द्वारा पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि :

मेरे/हमारे द्वारा क्यूसीए के दायित्व में निकाय केन्द्रों (पूलिंग स्टेशनों) से संयोजित समस्त विद्युत उत्पादकों से सहमति प्राप्त कर ली गई है तथा अनुबंध की प्रति संलग्न की जा रही है।

| सरल क्रमांक | निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन) का नाम | विद्युत उत्पादक का नाम | टरबाइन/इन्वर्टरों की संख्या | प्रत्येक टरबाइन/इन्वर्टर की क्षमता | कुल क्षमता | क्यूसीए के दायित्वाधीन स्वीकार किया गया |
|---|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन) की कुल क्षमता | | | | | | |

क्षतिपूर्ति (INDEMINIFICATION)

पवन/सौर विद्युत उत्पादक तथा अर्हतायुक्त समन्वय अभिकरण (क्यूसीए) सदैव राज्य भार प्रेषण केन्द्र को किसी भी क्षति से मुक्त रखेगा तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को किसी भी तथा समस्त प्रकार की क्षतियों, हानियों, दावों तथा कार्यवाहियों से क्षतिविहीन रखने हेतु, उन्हें भी सम्मिलित करते हुए जो किसी व्यक्ति को पहुंची चोट या हुई मृत्यु या सम्पत्ति को पहुंची क्षति, मांगों, वादों, वसूलियों, लागतों तथा व्ययों, न्यायालय संबंधी लागतों, न्यायवादी (अटार्नी) शुल्क तथा तृतीय पक्षकार को या उसके द्वारा अन्य समस्त प्रतिबद्धताएं जो विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि के अन्तर्गत 'क्यूसीए' के पंजीकरण से उद्भूत हों या परिणामस्वरूप घटित हों, का प्रतिरक्षण करेगा तथा उनसे बचाने का वचन देता है।

पवन/सौर विद्युत ऊर्जा विद्युत उत्पादक तथा (क्यूसीए) राज्य भार प्रेषण केन्द्र को सदैव किसी क्षति से मुक्त रखेंगे तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को समस्त प्रकार की क्षतियों, हानियों दावों तथा कार्यवाहियों से जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र के साथ-साथ विद्युत उत्पादकों के विवादों से उद्भूत हों जिनमें गोपनीय विषय भी सम्मिलित होंगे, की क्षतिपूर्ति करने, प्रतिरक्षण करने तथा बचाये जाने का वचन देता है।

दिनांक

'क्यूसीए' के हस्ताक्षर

अनुलग्नक-छः

दूरमापन (टेलीमीटरी) तथा ध्वनि संचार (वॉयस कम्यूनिकेशन) के नियोजन हेतु दिशा-निर्देश

1. विद्युत केन्द्रों (पावर स्टेशनों)/उपकेन्द्रों/निकाय केन्द्रों (पूलिंग स्टेशनों) पर स्थापित किये जाने वाली आंकड़ा अधिग्रहण प्रणाली (डाटा एक्वीसीशन सिस्टम)/दूरस्थ दूरमापन इकाई (रिमोट टेलीमीटरीयूनिट) अर्थात् DAS/RTU द्वारा IEC 60870-5-101 अथवा IEC 60870-5-104 नवाचार (प्रोटोकॉल) धारित किये जाने चाहिए जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र/समर्थक (बैकअप) राज्य भार प्रेषण केन्द्र पर उपलब्ध स्काडा प्रणाली की अन्तरभेद्यता मेट्रिक्स के सुसंगत हों।
2. नवकरणीय विद्युत उत्पादक केन्द्रों से निकटतम नियंत्रण केन्द्र से आंकड़ा मार्ग (डाटा चैनल) की व्यवस्था किया जाना अपेक्षित होता है। ये नियंत्रण केन्द्र इस प्रकार हैं : राज्य भार प्रेषण केन्द्र, जबलपुर/उप-राज्य भार प्रेषण केन्द्र इंदौर/बैकअप भार प्रेषण केन्द्र भोपाल या फिर निकटतम वाईड बैंड नोड्स/विद्यमान वाईडबैंड नोड्स की अवस्थिति इस प्रकार है : 400 केवी उपकेन्द्र भोपाल, 400 केवी उपकेन्द्र इंदौर, 400 केवी उपकेन्द्र बीना, 400 केवी उपकेन्द्र नागदा, 400 केवी उपकेन्द्र कटनी, 400 केवी उपकेन्द्र एसजीटीपीएस, 400 केवी उपकेन्द्र पीथमपुर, 400 केवी उपकेन्द्र शेगांव, 220 केवी उपकेन्द्र उज्जैन, 220 केवी इटारसी, 220 केवी दमोह, 220 केवी उपकेन्द्र जबलपुर, 220 केवी उपकेन्द्र सतना, 220 केवी सिवनी, 220 केवी बड़वाह, 220 केवी नीमच, 220 केवी रतलाम, 220 केवी शिवपुरी, 220 केवी ग्वालियर-2, 220 केवी मालनपुर, 220 केवी शुजालपुर, 220 केवी उपकेन्द्र राजगढ़, 220 केवी इंदौर (SZ), 132 केवी बैढन।
3. नवकरणीय विद्युत उत्पादकों से निकाय स्टेशन (पूलिंग स्टेशन) तथा टरबाइनवार/प्रतीपक (इन्वर्टर) वार दूरमापन मय मौसम मानदण्डों के प्रदान किया जाना वांछित होता है। टरबाइनवार/इन्वर्टर दूरमापन (सक्रिय तथा प्रतिक्रियाशील ऊर्जा) मय सक्रिय तथा प्रतिक्रियाशील ऊर्जा के जो निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन)/नियंत्रण केन्द्र से 33 केवी तक के समस्त संभरकों से संयोजित हैं, ट्रांसफार्मरों की सक्रिय तथा प्रतिक्रियाशील ऊर्जा, बस वोल्टेज, समस्त संभरकों की आवृत्ति (फ्रिक्वेंसी) एवं परिपथ अवरोधक (सर्किट ब्रेकर) स्थिति, ट्रांसफार्मर, आपके निकाय केन्द्र/नियंत्रण केन्द्र के बस कपलर, निकाय केन्द्र के 132 केवी तक के तत्वों (घटकों) का राज्य के स्वामित्व वाला उद्यम (एमओई) जहां DAS/RTU अवस्थित है, नवकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादक द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मौसम मानदण्डों जैसे कि प्रत्येक टरबाइन की वायुगति, प्रदीप्ति मानदण्ड, तापमान, आर्द्रता, आदि के बारे में भी जानकारी नवकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादकों द्वारा प्रदान किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

4. नवकरणीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से विश्वसनीय आंकड़ा मार्ग (डाटा चैनल) की व्यवस्था किया जाना अपेक्षित होता है जिस हेतु विद्युत लाईन वाहक संचार व्यवस्था (पावर लाईन कैरियर कम्यूनिकेशन-पीएलसीसी), ओपीजीडब्लू कम्यूनिकेशन, समर्पित बिन्दु दर बिन्दु पट्टाकृत लाईन, VSAT कम्यूनिकेशन अथवा इनके संयोजन में से किसी भी एक को उपयोग में लाया जाता है। यदि नवकरणीय विद्युत ऊर्जा उत्पादक/विकासक/‘क्यूसीए’ आंकड़ा मार्ग (डाटा चैनल) हेतु विकल्प प्रदान करते हों तो उन्हें राज्य भार प्रेषण केन्द्र/बैकअप राज्य भार प्रेषण केन्द्र VSAT के उपयोग द्वारा उप-राज्य भार प्रेषण केन्द्र पर उपलब्ध सेवा प्रदायकों की साझी VSAT अधोसंरचना को उपयोग में लाया जाता है। स्थान की उपलब्धता की विवशताओं के कारण वैयक्तिक विद्युत उत्पादक/ विकासक/ क्यूसीए हेतु पृथक VSAT अधोसंरचना की व्यवस्था की जाना संभव न होगा।

यहां पर यह संज्ञान में लिया जाना आवश्यक होगा कि राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा संचार मार्ग (चैनल) की व्यवस्था हेतु GPRS/GSM के उपयोग को विश्वसनीय तथा उपयुक्त नहीं पाया गया है। इसके अतिरिक्त, आंकड़ा मार्ग (डाटा चैनल) हेतु इन्टरनेट/ब्राडबैंड के उपयोग की अनुमति सायबर सुरक्षा कारणों से प्रदान नहीं की जाएगी।

5. उपरोक्त उल्लेखित उपायों को RTU/DAS में IEC प्रकार में विन्यासित किया जाना वांछित होता है जैसा कि इसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :

| सरल क्रमांक | आंकड़ा विषय | IEC आंकड़े जिन्हें विन्यासित किया जाना अपेक्षित है |
|-------------|------------------------------------|--|
| 1 | अवरोधक वस्तुस्थिति (ब्रेकर स्टेटस) | M_DP_TA_1 (TYPo4 i.e. Double status with the tag. |
| 2 | एनेलॉग इनपुट (MW,MVAR, KV, HZ) | M_ME_NA_ (TYpe 09) अथवा M_ME_NC (TYPE 13) |

6. आपके DAS/RTU में किये जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण IEC 870-5-101 मापदण्ड विन्यासों को निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

| | |
|-------------------------------|---------|
| iec Max User Frame Length | 255 |
| iec LL Addr Field Length | 1 octet |
| iec ASDU Addr Field Length | 1 octet |
| IEC Object Addr Field Length | 2 octet |
| IEC Transmission Field Length | 1 octet |

7. विभिन्न नवाचार (प्रोटोकॉल) मानदण्ड जिन्हें विन्यासित किया जाना अपेक्षित है, निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

| विद्युत प्रणाली आंकड़ा का प्रकार | आंकड़ा इकाई का प्रकार | IEC के अनुसार विवरण | आंकड़ा पोलिंग विधि | स्कैन समूह | श्रेणी-x | आब्जेक्ट एड्रेस रेंज |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|------------|----------|----------------------|
| Analog values | ASDU-9 or ASDU- | Measured value normalized or | Periodic scan group | Group-3 | Group-2 | 3001-4001 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------|---|---|---------|---|-----------|
| | 13 | short float | | | | |
| Single Input digital status | ASDU-1 | Single Point information without time tag | By exception (spontaneous) and on periodic group scan | Group-1 | Class-1 after exception, class-1 after group scan | 1-1000 |
| Single Input digital status | ASDU-2 | Single Point information without time tag | By exception (spontaneous) | Group-1 | Class-1 after exception, | 1001-2000 |
| Digital inputs Double point | ASDU-3 | Double Point information | By exception (spontaneous) | Group-2 | Class-1 after exception, | 2001-3001 |

8. DAS/RTU से विश्वसनीय आंकड़ा मार्ग (डाटा चैनल) को निकटतम राज्य भार प्रेषण केन्द्र/उप-भार प्रेषण केन्द्र/वाइड बैंड नोड (पीएलसीसी अथवा पट्टाकृत लाईन) की व्यवस्था आपकी कंपनी द्वारा की जाएगी। IEC 60870-5-101 प्रोटोकॉल हेतु आंकड़ा चैनल गति की गणना analog data की संख्या के आधार पर निम्न दर्शाये गये विवरणों के अनुसार की जाएगी :

| Analog Data की संख्या | न्यूनतम Baud दर |
|-----------------------|-----------------|
| 0 -30 | 300 |
| 31 - 60 | 600 |
| 61 - above | 1200 |

IEC 60870-5-101 प्रोटोकॉल आंकड़ा चैनल हेतु OPGW/VAST/ समर्पित बिन्दु से बिन्दु पट्टाकृत लाईन मय दोनों छोर इथरनेट पोर्ट के व्यवस्थित किया जाना अपेक्षित है। RTU/इथरनेट पोर्ट IP address को क्रियाशील करते समय प्रदान किया जाएगा। दो की संख्या में FEP सर्वर IP address को अतिरिक्त (रिडन्सी) प्रयोजन से RTU में विन्यासित किये जाने की आवश्यकता होगी।

आंकड़ों को SLDC SCADA पर अद्यतन किया जाना होगा जैसे तथा जब ये फील्ड में परिवर्तित होंगे। Analog Signal हेतु TSS से SLDC SCADA/EMS पर आंकड़ा अद्यतन दर 10 सेकंड के भीतर किये जाने की आवश्यकता होगी तथा status signal हेतु इसकी प्राप्ति चार सेकंड से भी कम समय में की जाएगी।

9. चूंकि ये नवकरणीय विद्युत केन्द्र सुदूर केन्द्रों में स्थित हैं, समर्थक सहायक विद्युत प्रदाय की अनुपलब्धता के कारण सुदूर मापन अवरोधित होना भी पाया जाता है। अतएव निरन्तर चौबीसों घंटे सुदूर मापन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि दूरमापन प्रणाली को UPS तथा पर्याप्त क्षमता की बैटरी के साथ क्रियाशील किया जाए ताकि न्यूनतम दस घंटे की अवधि हेतु विद्युत समर्थन (बैकअप) उपलब्ध रहे।

10. उप-राज्य भार प्रेषण केन्द्र/राज्य भार प्रेषण केन्द्र पर आपके संयंत्र की दूरमापन व्यवस्था के समाकलन हेतु मोडेम/अन्य समाकलन (इन्टिग्रेशन) उपकरण जैसे कि VSAT टर्मिनल/ OPGW टर्मिनल उपकरण/PLCC केबिनेट मय आवश्यक तारों/केबलिंग की व्यवस्था संबंध नवकरणीय विद्युत उत्पादक अभिकरण द्वारा की जाएगी। पट्टाकृत प्रभारों के नवीनीकरण हेतु नवकरणीय पट्टाकृत लाईन/VAST संचार व्यवस्था विद्युत उत्पादन केन्द्रों द्वारा की जाएगी। राज्य भार प्रेषण केन्द्र/बैंकअप राज्य भार प्रेषण केन्द्र/उप-भार प्रेषण केन्द्र में आंकड़ा आधार की तैयारी की व्यवस्था राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा की जाएगी।
11. दूरमापन व्यवस्था को क्रियाशील किये जाने से पूर्व नवकरणीय विद्युत उत्पादक केन्द्रों को दूरमापन स्कीम के साथ-साथ आंकड़ा IO सूची का अनुमोदन प्राप्त करने का परामर्श दिया जाता है ताकि राज्य भार प्रेषण केन्द्र स्काडा/EMS प्रणाली, यदि कोई हो तो उससे बचा जा सके।
12. क्रियाशील किये जाने के पश्चात् चौबीसों घंटे दूरमापन व्यवस्था की उपलब्धता सुनिश्चित करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है तथा शतप्रतिशत उपलब्धता हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु डाटा चैनल के साथ-साथ आंकड़ा प्राप्त करने का उपकरण AMC तथा OEMS के समस्त विन्यास (कन्फिगुरेशन) फाइलों हेतु बैंकअप की उपलब्धता, तार व्यवस्था का आरेख आदि को संधारित किये जाने की आवश्यकता होती है और दूरमापन व्यवस्था के संधारण हेतु उत्तरदायी सम्पर्क व्यक्ति के विवरणों को प्रत्येक नवकरणीय विद्युत उत्पादक केन्द्र द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को सूचित किया जाना आवश्यक होता है। प्रतिक्रिया के अभाव/दूरमापन व्यवस्था की पुनर्स्थापना में असाधारण विलम्ब के प्रकरण में राज्य प्रेषण केन्द्र द्वारा आवश्यक कार्यवाही, जैसे कि ऊर्जा लेखांकन का स्थगन/ग्रिड से निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन) का वियोजन (विच्छेदन)/ऊर्जा के भुगतान को रोके जाने के बारे में एमपीपीएमसीएल स्तर पर मामले को उठाये जाने हेतु पहल की जाएगी।
13. चौबीसों घंटे उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु यह अत्यावश्यक है कि प्रतिष्ठित निर्माता के RTU/DAS/MFM/MODEMS मय प्रकार (टाईप) परीक्षण प्रमाण-पत्र के स्थापित किये जाएं।

अनुलग्नक-सात

राज्य भार प्रेषण केन्द्र-जबलपुर

..... मेगावाट पवन/सौर विद्युत परियोजना, मेसर्स द्वारा निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन) पर संचालित, मेगावाट उपलब्ध क्षमता (AvC) तथा मेगावाट का पूर्वानुमान विद्युत उत्पादन (फोरकास्टेड जनरेशन)

| |
|--------------|
| FOR तिथि |
| REV. क्रमांक |
| समय |
| अभ्युक्तियां |

| खण्ड क्रमांक | समय से | समय तक | निकाय केन्द्र (पूलिंग स्टेशन) का नाम | |
|--------------|---------|---------|--------------------------------------|---|
| | | | उपलब्ध क्षमता (AvC) मेगावाट में | पूर्वानुमान विद्युत उत्पादन मेगावाट में |
| 1 | 0 : 00 | 0 : 15 | | |
| 2 | 0 : 15 | 0 : 30 | | |
| 3 | 0 : 30 | 0 : 45 | | |
| 4 | 0 : 45 | 1 : 00 | | |
| 5 | 1 : 00 | 1 : 15 | | |
| 6 | 1 : 15 | 1 : 30 | | |
| 7 | 1 : 30 | 1 : 45 | | |
| 8 | 1 : 45 | 2 : 00 | | |
| 9 | 2 : 00 | 2 : 15 | | |
| 10 | 2 : 15 | 2 : 30 | | |
| 11 | 2 : 30 | 2 : 45 | | |
| 12 | 2 : 45 | 3 : 00 | | |
| 13 | 3 : 00 | 3 : 15 | | |
| 14 | 3 : 15 | 3 : 30 | | |
| 15 | 3 : 30 | 3 : 45 | | |
| 16 | 3 : 45 | 4 : 00 | | |
| 17 | 4 : 00 | 4 : 15 | | |
| 18 | 4 : 15 | 4 : 30 | | |
| 19 | 4 : 30 | 4 : 45 | | |
| 20 | 4 : 45 | 5 : 00 | | |
| 21 | 5 : 00 | 5 : 15 | | |
| - | - | - | | |
| - | - | - | | |
| - | - | - | | |
| - | - | - | | |
| - | - | - | | |
| 90 | 22 : 15 | 22 : 30 | | |
| 91 | 22 : 30 | 22 : 45 | | |
| 92 | 22 : 45 | 23 : 00 | | |
| 93 | 23 : 00 | 23 : 15 | | |
| 94 | 23 : 15 | 23 : 30 | | |
| 95 | 23 : 30 | 23 : 45 | | |
| 96 | 23 : 45 | 24 : 00 | | |

Bhopal Dated: 25.09. 2019

No. 1322/MPERC/2019.- In exercise of the powers conferred by Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes amendments to the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement Mechanism and related matters of Wind and Solar generating stations) Regulations, 2018, namely:

First amendment to the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement Mechanism and related matters of Wind and Solar generating stations) Regulations, 2018.

1. Short title, extent and commencement

- i. These Regulations shall be called the **Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement Mechanism and related matters of Wind and Solar generating stations) (First amendment) Regulations, 2018. {AG-44(i) of 2019}**
- ii. They shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.
- iii. They shall come into force from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette.

2. In the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement Mechanism and related matters of Wind and Solar generating stations) Regulations, 2018 hereinafter called the 'Principal Regulations', the following shall be amended, namely—

3. In sub-Regulation (1) of Regulation 2 of the principal Regulations:-

- (1) Clause (b), (e) and (u) shall be omitted.
- (2) for Clause (g), the following clause shall be substituted namely:-
“(g) ‘Deviation’ in a time block for a Seller means its total actual injection minus its total scheduled generation.”
- (3) for Clause (j), the following clause shall be substituted namely:-
“(j) ‘Gaming’ in relation to these regulations, shall mean an intentional mis-declaration of available capacity by any seller in order to make an

undue commercial gain through Charges for Deviations;”

- (4) After Clause (n), the following clause shall be inserted namely:-

“(n-i) ‘MRI’ means Meter Reading Instrument used for downloading and storage of data from Special Energy Meters

- (5) In Clause (q) the words ‘Pool Account’ shall be substituted by the words ‘State Deviation Pool Account’.

- (6) In Clause (r), in the proviso, in the end, before semi-colon, the following word shall be added namely:-

“However, in case the multiple common feeders of same developers are connected to the Grid Substation, then every individual feeder shall be treated as a separate pooling station.”

- (7) In Clause (s), in second item, the words ‘metering, data collection/transmission, communication’ shall be substituted by the words ‘metering & AMR, data collection / transmission, telemetry & communication’.

4. For Regulation 3 of the principal Regulations, the following Regulation shall be substituted namely:-

“3. Objective and scope

- “(1) The objective of these Regulations is to maintain grid discipline and grid security as envisaged under the Grid Code through the commercial mechanism for Deviation Settlement through injection of electricity by the users of the grid.

- “(2) These Regulations shall be applicable to Seller(s) involved in the transactions facilitated through short-term open access or medium-term open access or long-term open access in intra-state transmission or distribution of electricity (including intra-state wheeling of power), as the case may be, in respect of all wind power generators having a combined installed capacity of 10 MW & above and solar power generators having installed capacity of 5 MW & above including those connected via pooling stations and selling power within the State:

Provided that these Regulations shall also be applicable to all wind & solar generators selling power outside the State under open access and having combined installed capacity of 1 MW and above.”

"6. Forecasting, scheduling and elimination of gaming:

Procedure:- The provisions of the Madhya Pradesh Electricity Grid Code and the M.P. Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for intra-state open access in Madhya Pradesh) Regulations, 2005 as amended from time to time, shall be applicable for declaration of capacity, scheduling and elimination of gaming and the detailed operating procedure in this regard is annexed as **Annexure-I**.

7. Amendment to Regulations 7,8 and 9:

Regulations 7, 8 and 9 of the Principal Regulations shall be omitted.

8. Amendment to Regulation 10:-

for sub-regulation (1) of the Regulation 10 of the principal Regulations, the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(1) Within two months from the date of notification of these Regulations, the State Load Despatch Centre shall formulate a "State Power Committee" and after obtaining approval from the Commission, issue the necessary order.

By order of the Commission
SHAILENDRA SAXENA, Secy.

5. In the Principal Regulations, the Regulation 4 shall be amended as under: -

(i) In the second line under para one, the words 'and drawal' shall be omitted.

(ii) For sub-regulation (7), the following sub-regulation shall be substituted, namely:

"(7) All State Entities shall make necessary arrangements for putting up suitable meters, capable of recording energy flows at 15-minutes intervals, at the points of injection and providing AMR facility for data downloading remotely at SLDC."

(iii) After so substituted sub-regulation (7), the following sub-regulations shall be added namely: -

"(8) All wind or solar generators including those connected via pooling station shall have to appoint a common QCA which may be one of the generator or mutually agreed agency. If generators fail to appoint a common QCA within a period of two months from the date of issue of notice by SLDC, then SLDC shall advise the concerned licensee for disconnection of defaulting generators. The licensee shall take action accordingly under intimation to SLDC.

(9) In case more than 50% of the installed capacity of wind or solar generators including those connected via pooling station have consented for a particular QCA, then remaining generators shall have to appoint same agency as a QCA. In case of non-compliance, SLDC shall advise the concerned licensee to disconnect the defaulting generators from the Grid. The licensee shall comply with the instructions of SLDC under intimation to SLDC."

6. **Amendment to Regulation 5 and 6:-**

In the Principal Regulations, for Regulation 5 and 6, the following Regulations shall be substituted, namely:-

"5. Principles for Operationalising Deviation Settlement Mechanism:

The framework for Deviation Settlement Mechanism shall cover the following key design parameters, viz. (a) Scheduling period (b) Deviation (c) Settlement period (d) Measurement unit for State Deviation Pool Account (e) Deviation Pool Price Vector

(a) **Scheduling Period:** The scheduling period shall comprise of 96 time blocks, each of 15-minutes duration starting from 00:00 hours (IST) ending with 24:00 hours (IST). The first time block of scheduling period

shall commence from 00:00 hours (IST) to 00:15 hours (IST), second time block of scheduling period shall commence from 00:15 hours (IST) to 00:30 hours (IST) and so on:

Provided that the scheduling period may be revised to 288 time blocks, each of 5-minutes duration starting from 00:00 hours (IST) ending with 24:00 hours (IST) and accordingly, the Interface Metering, Energy Accounting and Deviation Settlement need to be capable to undertake transactions with 5-minutes duration. All future resource planning, IT and communication system requirement and infrastructure development may be undertaken to cater to this requirement.

- (b) **State Deviation Pool Account:** For the purposes of Deviation settlement amongst qualified Wind and Solar Generators, the SLDC shall work out the 'Deviation Pool Accounts' comprising over-injection and under-injection for each qualified Wind and Solar Pooling Station, or solar/wind generators, as the case may be, corresponding to each Scheduling period in accordance with the provisions of these Regulations.
- (c) **Settlement Period:** Preparation and settlement of 'Deviation Pool Accounts' shall be undertaken on weekly basis coinciding with mechanism followed for regional energy accounts. Till such time, the complete weekly ABT meter data starts to flow through AMR System or manual data download by MRI, the State Load Despatch Centre shall prepare and issue Deviation Charges Account on monthly basis which shall be allowed maximum up to 3 months from the date of the notification of these Regulations.
- (d) **Measurement Unit for Deviation Pool Account:** The measurement unit for Deviation Pool Volume (Over-injection/under-injection) preparation shall be kiloWatt hours (kWh). Measurement unit for Deviation Pool Value (Payable and Receivable) preparation shall be Indian Rupees (INR). The decimal component of the energy unit (kWh) and amount (INR) shall be rounded off to nearest integer value.
- (e) **Deviation Pool Price Vector:** The charges for Deviation shall be in accordance with the Deviation Price Vector to be notified by the Commission from time to time. Separate treatment for pricing of Deviation of Wind/ Solar Generators, as specified under Regulation 6 shall be applicable.

"6. Forecasting, scheduling and elimination of gaming:

Procedure:- The provisions of the Madhya Pradesh Electricity Grid Code and the M.P. Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for intra-state open access in Madhya Pradesh) Regulations, 2005 as amended from time to time, shall be applicable for declaration of capacity, scheduling and elimination of gaming and the detailed operating procedure in this regard is annexed as **Annexure-I**.

7. Amendment to Regulations 7,8 and 9:

Regulations 7, 8 and 9 of the Principal Regulations shall be omitted.

8. Amendment to Regulation 10:-

for sub-regulation (1) of the Regulation 10 of the principal Regulations, the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(1) Within two months from the date of notification of these Regulations, the State Load Despatch Centre shall formulate a "State Power Committee" and after obtaining approval from the Commission, issue the necessary order.

By order of the Commission
SHAILENDRA SAXENA, Secy.

Annexure -I**OPERATING PROCEDURE FOR IMPLEMENTATION OF MPERC (FORECASTING, SCHEDULING, DEVIATION SETTLEMENT MECHANISM AND RELATED MATTERS OF WIND AND SOLAR GENERATING STATIONS) REGULATIONS 2018****1. Introduction -**

This procedure is prepared in accordance with the provisions of regulation 6(a) of MPERC (Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement Mechanism and related matters of Wind and Solar Generating Stations) Regulations 2018. This procedure shall be read in conjunction with Indian Electricity Grid Code (IEGC), Madhya Pradesh Electricity Grid Code (MPEGC), MPERC (Terms and Conditions for Intra-State Open Access in Madhya Pradesh), Regulations 2005 and subsequent amendments issued thereof.

2. Qualified Coordinating Agency (QCA)**I. Qualifying Requirement for QCA -**

The following are the general guidelines for appointing QCA by the Wind and Solar Generators:

The QCA shall be a company incorporated in India under the Companies Act, 1956/2013.

- i. The QCA shall have the experience in the field of Wind and/ or Solar Power forecasting and scheduling for a minimum period of one (1) year with appropriate accuracy levels in forecasting.
- ii. The QCA shall have capability to manage multiple plant owners connected to a pooling station in order to de-pool deviation charges.
- iii. The financial strength of the QCA shall be such that it shall be in a position to handle the risk of penalties due to deviation charges applicable to RE generator. Considering this, the net worth of the QCA shall be at least Rs. 1.50 Crores (One Crore and Fifty Lakhs only) in the previous financial year which shall reflect from its audited accounts duly certified by the Chartered Accountant.
- iv. Operational requirements - The QCA shall have fully functional forecasting and scheduling tools to obtain the desired output.

- v. The QCA shall have a compatible system in place, for seamless flow of information to and from SLDC in order to facilitate forecasting, scheduling and revision of schedule, intimation of outages/ grid constraints etc. and it shall have capability to provide real time monitoring systems in place for seamless flow of information to and from SLDC.
- vi. QCA shall have an established team of Renewable Resource Analysts, modeling Statisticians, Energy modelers and 24x7 operation and monitoring team.

Note:-

Provided that when a generator(s) is not availing the services of QCA and a lead generator or individual generator acting as a QCA, it will be exempted from the aforesaid qualifying requirements of QCA mentioned above at S. No. (i) to (iii).

II. Appointment of QCA by Generators -

- i. Wind and Solar Generators (more than one legal owner) including those connected via Pooling Station to State Grid shall appoint a common Qualified Coordinating Agency (QCA) with a consensus and mutually agreed terms & conditions amongst the Generators in that Pooling Station. Any one of the lead Generator may also act as a QCA with the consensus among the generators including those connected via pooling station to State Grid and shall be registered as a QCA at SLDC.
- ii. Wind and Solar generators (single legal owner) connected directly or via pooling station to State Grid may appoint a QCA or may act as a QCA and shall be registered as a QCA at SLDC.
- iii. Wind and solar generators (more than one legal owner) connected directly or via pooling station to State Grid shall submit a consent letter as per format **Annexure-II** and copy of agreement made with QCA clearly specifying the "QCA" who shall be responsible for coordinating on behalf of all the generators including those connected via pooling Station to state Grid on issues like forecasting, scheduling, deviation charges, metering, SCADA, and other responsibilities assigned to QCA in the MPERC (Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement Mechanism and related matters for Wind and Solar

Generating Stations) Regulation, 2018, and under this operating procedure. All wind and solar generators shall provide all the required support to the Qualified Coordinating Agency (QCA).

- iv. QCA shall be the single point of contact with SLDC on behalf of its coordinated generator(s).

III. Registration of QCA with SLDC –

- a. The QCA shall submit the consent letters and copy of agreements with Generators who have appointed him as a QCA and then apply for registration with SLDC.
- b. The QCA shall apply for registration with SLDC by submitting duly filled up application form as per the enclosed format (**Annexure-III**), Undertaking as per the enclosed format (**Annexure-IV**), Declaration as per the enclosed format (**Annexure-V**).
- c. The eligible QCA will be registered with SLDC and Registration No. will be provided by the SLDC. After registration with SLDC, QCA shall be treated as State Entity for the purpose of MPERC (Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement Mechanism and related matters for Wind and Solar Generating Stations) Regulation, 2018.
- d. Each pooling Station shall have one QCA. However, one QCA can be registered for many pooling stations. In case a particular Wind or Solar Generators alone is connected to a Pooling station, then such Generator can also act as a QCA and get registered with SLDC by submitting the duly filled up application form, Undertaking & Declaration.
- e. In case QCA has obtained registration on the basis of false information or by suppressing material information, the registration of such entity shall be revoked.
- f. The registration of the QCA will be revoked on the request of majority generators who have appointed the QCA.
- g. The QCA may cancel their Registration by submitting "No Objection Certificate"

(NOC) from the concerned Generators. The Generators shall choose another QCA and get it registered immediately after cancellation of the registration of existing QCA.

- h. In the event non-compliance of any of the terms/ conditions/ rules outlined under Regulation 2(1)(s) of MPERC (Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement Mechanism and related matters for Wind and Solar Generating Stations) Regulation, 2018 by QCA, the registration of the QCA will be revoked by SLDC.

V. Roles and Responsibilities of QCA -

QCA shall be the single point of contact with SLDC on behalf of all the Generators connected to a pooling station for the following purpose:

- i. QCA shall provide 15 minutes block- wise Available Capacity and Forecasted Generation on day ahead basis with Intra day periodic revisions of the same to SLDC on behalf of all the Wind/Solar Generators connected to the pooling station(s) and also coordinate with SLDC for scheduling.
- ii. QCA shall be responsible for coordination with STU/Discoms / SLDC for installation of Special Energy Meters (SEM) alongwith AMR facility (modem, antenna & SIM) and integration of SEM with AMR Server of SLDC for meter data downloading remotely at SLDC.
- iii. QCA shall ensure periodical testing and calibration of SEMs as per CEA (Installation and Operation of Meters) Regulations and M P Electricity Grid Code.
- iv. QCA shall undertake commercial settlement of deviation charges which includes payment / receipt of deviation charges to / from the State Deviation Pool Account on behalf of Generators.
- v. QCA shall undertake de-pooling of amount (payable / receivable) on behalf of the generators from the State Deviation Pool Account and settling them with the individual generator.
- vi. QCA shall also undertake commercial settlement of all other charges on behalf of the generators as specified under these Regulations as amended from time to

time.

- vii. QCA shall submit details of contracts entered by Wind and Solar Generators connected to a pooling station. QCA shall obtain PPA rates on affidavit from Wind and Solar Generators supported by the copy of PPA and submit the same to SLDC for computation of deviation charges:

Provided that such information will not be shared to any party by SLDC without prior consent of concerned Wind and Solar based Generators.

- viii. QCA must have designated and qualified operator(s) available for twenty-four (24) hours every day for contact and Communication with the SLDC, in accordance with SLDC instructions and other communication policies and protocols.
- ix. QCA shall provide Turbine/Inverter- wise and pooling stations details (Static data) as per REMC format available at SLDC website www.sldcmpindia.com → RE Generator Info → REMC Format, or as required by SLDC.
- x. QCA shall co-ordinate and transmit the data of operation of Low Voltage Right Through (LVRT) on monthly basis to SLDC.
- xi. The QCA shall maintain historical data, all turbine / inverter -wise and pooling station -wise SCADA data and forecasting & scheduling data of pooling station and other necessary records, registers and accounts and shall furnish the same to SLDC on request.
- xii. QCA shall ensure Available Capacity (AvC) and data exchange of other parameters from QCA to SLDC and will also ensure data transfer of Available Capacity (AvC) of individual Turbines / inverters and maintenance schedules invariably, for use of SLDC in producing power forecasts and Deviation calculations.
- xiii. QCA shall ensure transfer of turbine / inverter level SCADA data to Pooling Station in real time and from the Pooling Station to the connected Grid Substation to SLDC without any interruption. The guidelines for providing telemetry data shall be as per **Annexure-VI**.

3. Pre-conditions for participation in Deviation Settlement Mechanism:

Necessary preconditions and covenants for participation by State Entities shall be as under:

- i. All State Entities shall have equal and non-discriminatory treatment towards 'Deviation Settlement Mechanism' of Wind and Solar Generators.
- ii. The State Entities shall inform the SLDC of all contracts they have entered into for exchange of energy.
- iii. SLDC shall take all decisions with regard to the despatching of stations after evaluating all possible network parameters, constraints, congestions in the transmission network and in the eventuality of any such network aberration, the instructions by the SLDC with regard to despatch shall be binding on all State Entities.
- iv. State Entities shall operate their equipment and loads in a manner that is consistent with the provisions of the Indian Electricity Grid Code (IEGC) and M.P. Electricity Grid Code, as amended from time to time.
- v. State Entities shall enter into BPTA (Bulk Power Transmission Agreement) and Connection Agreement with the transmission licensee, which shall specify the physical and operational requirements for a reliable operation and gain physical access and connection to the Intra-State Transmission System (ISTS) or enter into Connection and Use Agreement with concerned Distribution Licensee for use of distribution system, as the case may be.
- vi. SLDC shall publish all such information as required for implementation of MPERC (Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement Mechanism and related matters for Wind and Solar Generating Stations) Regulation, 2018, on its website.
- vii. All State Entities shall make necessary arrangements for putting up suitable SEM, capable of recording energy flows at 15-minutes intervals alongwith AMR facility (Modem, Antena & SIM) for data downloading at SLDC, at the points of injection as per CEA Regulations and Grid Code.
- viii. In case of Wind or Solar Generators as state entities undertaking intra-state

transactions and inter-state transactions on a common feeder, then inter-state transactions shall be allowed provided that such generators are connected to separate feeders at LV side of the Pooling Station and metering, scheduling, energy accounting and deviation settlement account for such Wind or Solar Generators are maintained separately. However, the Wind or Solar generators connected on a same pooling station and were undertaking intra-state and inter-state transactions prior to date of notification of these Regulations, shall be allowed to continue their transactions for a maximum period of one year from the date of this notification, and till that time the Generator must obtain separate connectivity on a separate feeder. The Deviation Charges of such generators for the aforesaid period shall be computed individually by considering the schedules and meter data at generator's end.

- ix. In case of new and old wind/ solar projects exist on same pooling station and the pooling station is connected to State Grid prior to date of notification of MPERC (Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement Mechanism and related matters for Wind and Solar Generating Stations) Regulation, 2018, the applicability of absolute error for computing Deviation Charges shall be as per Table -IV of this procedure.

4. Declaration of Available Capacity (AvC), Forecasting, Scheduling and Despatch:

- i. The Declaration of Available Capacity (AvC), forecasting and Scheduling of Wind and Solar Generating Stations shall be as per the provision of Madhya Pradesh Electricity Grid Code and subsequent amendments thereof.
- ii. The scheduling period shall comprise of 96 time blocks, each of 15 minutes duration starting from 00:00 hours (IST) ending with 24:00 hours (IST). The first-time block of scheduling period shall commence from 00:00 hours (IST) to 00:15 hours (IST), second time block of scheduling period shall commence from 00:15 hours (IST) to 00:30 hours (IST) and so on.

Provided that from the date as maybe notified by the Commission, the scheduling period maybe revised to 288 time blocks, each of 5-minutes duration starting from 00:00 hours (IST) ending with 24:00 hours (IST). Accordingly, the Interface Metering, Energy Accounting and Deviation

Settlement need to be capable to undertake transactions with 5minutes duration. All future resource planning, IT and communication system requirement and infrastructure development maybe undertaken to cater to the aforesaid requirement.

- iii. QCA shall declare the AvC and forecast generation in 15 minutes time block for each pooling station (Wind / Solar) on behalf of Wind and Solar Generators connected to a pooling station. The AvC and Forecast shall be declared on day ahead basis and can be revised during the real time operation.
- iv. QCA shall submit the Day ahead AvC and Forecast in a time block of 15 minutes for the next day to SLDC upto 10:00Hrs in the enclosed proforma (Annexure-VII).
- v. The schedule by such Wind and Solar Generating Stations which are State Entities supplying Intra / Inter State power under long-term or medium term or short term open access may be revised by giving advance notice to SLDC. The revisions can be made in accordance with the provisions of Madhya Pradesh Electricity Grid Code and its amendments from time to time.
- vi. QCA shall submit the Available Capacity (AvC) and forecast of Solar Generating Stations based on availability of the generator, weather forecasting, solar insolation / irradiance, season and normal solar generation curve. Considering the availability of solar irradiation during the day only, the AvC for a Solar Generating Stations shall be submitted by QCA for the period 05:30Hrs to 19:30 Hrs.
- vii. Revision in schedules by the Wind and Solar Generators selling power through collective transactions shall not be allowed.
- viii. SLDC shall create a web portal for directly uploading the AvC and Forecast by QCA. Each QCA shall be provided login ID and password. After logging-in, QCA shall be able to submit the AvC and Forecast on day ahead basis and submit revisions during real time operations. The QCA shall have to submit the AvC and Forecast through this web portal and also at mail id - remcibp@gmail.com.
- ix. QCA shall submit separate AvC and Forecast for Intra State and Inter State

Transactions of Wind/ Solar Generators.

- x. The forecasting of Wind and Solar Generating Stations shall also be done by SLDC to facilitate safe, secure and reliable grid operation. The SLDC may engage a forecasting agency to undertake forecasting till Renewable Energy Management Centre (REMC) becomes fully functional. QCA shall provide all static data, real time power system parameters and weather related data as applicable at Turbine/ Inverter Level and at Pooling station along-with turbine/inverter outage plan for forecasting by SLDC. The forecasting of Wind/ Solar Generation done by SLDC shall be published at SLDC website.
- xi. QCA shall have the option of accepting SLDC forecast or providing their own for scheduling by SLDC. Any commercial impact on account of deviation from schedule based on forecast chosen by the Wind/ Solar Generators or QCA shall be borne by the respective Generators/ Pooling Stations. If the generator(s)/QCA derive its schedule based on SLDC's forecast, they shall not take a plea that the error is due to erroneous forecast by SLDC, and the Generator/QCA shall be solely responsible for any commercial impact on account of deviation.
- xii. On receipt of pooling station wise day ahead forecast of Wind and Solar Generating Stations by QCA, SLDC shall issue the despatch schedule of Wind and Solar Generating Stations and the same shall be uploaded on SLDC website.
- xiii. In the event of contingencies, transmission constraints, congestion in the network, threat to system security, the schedule of Wind and Solar Generating stations shall be curtailed by SLDC as per provisions of MPERC (Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement Mechanism and related matters for Wind and Solar Generating Stations) Regulation, 2018, for ensuring secure and reliable grid operation.
- xiv. In case of any planned curtailment/ shutdown/ system constraint necessitated in certain time blocks of a day by the SLDC, Generator/ QCA shall be responsible to restrict the generation at site as per the advice of the SLDC and accordingly the QCA/ generator shall revise the schedule.
- xv. In case of any unplanned curtailment / shutdown / tripping of transmission elements or removal of curtailment / restoration of transmission elements, the

generation capacities thus reduced or increased by the generators for immediate time blocks shall be exempted from DSM calculations (scheduled generation shall be deemed to have been revised to be equal to their actual generation) till the 4th time block after communication with SLDC, the first block being the one in which the communication to SLDC has been made.

- xvi. SLDC shall prepare 15 minutes block-wise implemented schedules of the Wind and Solar Pooling Stations based on Forecasting and Intra-day revisions provided by QCA and shall publish the same on SLDC website within three days. The implemented Schedules issued by SLDC, shall be open to QCA's for checking/ verification, for a period of five (5) days. In case of any omission / mistake is intimated by QCA, the SLDC shall forthwith make a complete check and rectify the same.
- xvii. Wind and Solar Generators are required to declare Available Capacity (AvC) of their Generating Stations correctly, if any discrepancy in declaration of AvC is noticed by SLDC during the real time operation, the same shall be treated as Gaming and reported to the Commission.

5. Metering and data collection:

- i. In case of non-receipt of meter data through AMR System installed at SLDC, it shall be the responsibility of concerned licensee to ensure and arrange manual downloading of meter data and provide to SLDC on email id - abtmpsem@gmail.com within 2 days from the date of intimation by SLDC. Discoms and STU shall nominate a nodal officer responsible for providing meter data to SLDC.
- ii. In Wind Generating Station where there is no separate pooling station and feeder is directly connected at Grid Substation, SEM installed at the metering yard on feeder before connecting with the grid shall be considered for computation of deviation charges of Wind Generating Stations.
- iii. In Solar Generating Station where there is no separate pooling station and feeder is directly connected at the Grid Substation, SEM installed at the Grid Substation shall be considered for computation of deviation charges of Solar Generating Stations.

6. Computation of Deviation Charges:

- a. SLDC shall compute the deviation charges of qualified Wind and Solar Pooling Stations, based on the forecast submitted by the QCA / Schedules issued by SLDC and SEM data received by SLDC from concerned Discoms / STU or through AMR System.
- b. The Deviation Charges Account shall be prepared on weekly basis coinciding with the mechanism followed for regional energy accounts. Till such time, the complete weekly ABT meter data is received through AMR System or manual data download by MRI, the SLDC shall prepare and issue Deviation Charges Account on monthly basis, which shall be allowed maximum upto 3 months from the date of the notification of these Regulations.
- c. SLDC shall publish the Deviation Charges Account of Wind and Solar Pooling Stations on SLDC website which shall be open to the respective entities for checking/ verification for a period of 15 days. In case of any discrepancy is pointed out by QCA, SLDC shall forthwith make a complete check and rectify the mistake and re-publish the Deviation Charges Account on SLDC website.
- d. In case Qualified Coordinating Agency (QCA) or Wind / Solar Generators do not furnish the available capacity and forecasted generation to SLDC, the Deviation Charges of such pooling stations shall be computed considering the available capacity and forecasted generation as Zero '0'.
- e. The computation of Deviation Charges of Wind and Solar Generators under taking Inter-State or Intra-State transactions shall be done in accordance with the provisions as outlined under following sub-clauses:
 - I. Wind/ Solar Generating Stations undertaking Inter-State transactions:**
 - (i) The Wind or Solar Generators which are state entities undertaking Inter-State transactions shall be paid as per schedule generation.
 - (ii) In the event of actual generation being lesser than the scheduled generation, the deviation charges for shortfall in generation shall be payable by such wind or solar generator which are state entities into State Deviation Pool Account as given in Table-I enclosed at the end of these

operating procedure.

- (iii) In the event of the actual generation being more than the scheduled generation, the Deviation Charges for excess generation shall be payable to the wind or solar generators from State Deviation Pool Account as given in Table-II enclosed at the end of these operating procedure.
- (iv) The Fixed Rate referred under Table-I and Table-II is the PPA rate as determined by the Commission under section 62 of the Electricity Act 2003 or adopted by the Commission under section 63 of the Electricity Act 2003. In case of multiple PPAs, the weighted average of the PPA rates shall be taken as the Fixed Rate. The wind and solar generators shall furnish the PPA rates on affidavit for the purpose of Deviation charge account preparation to SLDC supported by copy of the PPA.
- (v) Fixed Rate for Open Access participants selling power which is not accounted for RPO compliance of the buyer, and the captive wind or solar plants shall be the Average Power Purchase Cost (APPC) rate at the National level, as may be determined by the Central Commission from time to time through a separate order.
- (vi) Regarding inter-state wheeling transactions of Wind and Solar Generating stations as State Entities, for balancing of deemed renewable purchase obligation (RPO) compliance of buyers with respect to schedule, deviations by all wind and solar generators which are state entities shall first be netted off for the entire pool on a monthly basis and any remaining shortfall in renewable energy generation must be balanced through purchase of equivalent solar and non-solar Renewable Energy Certificates (RECs), as the case may be, by SLDC or agency maintaining the pool account by utilizing funds from the Pool Account. For positive balance of renewable energy generation, equivalent notional RECs shall be credited to the DSM Pool and carried forward for settlement in future.

II. Wind/ Solar Generating Stations undertaking Intra-State transactions:

- (i) The Wind and Solar Generator which are State Entities undertaking Intra State transactions shall be paid as per actual generation.
- (ii) In the event of actual generation of a generating station or a pooling

station, as the case may be, being less or more than the scheduled generation, the deviation charges for shortfall or excess generation shall be payable by the wind and solar generator or the QCA, as the case may be, to the State Deviation Pool Account, as given in Table - III or Table-IV enclosed at the end of these operating procedure.

- (iii) SLDC shall maintain separate records and account of time-block wise schedules, actual generation, deviations and deviation charges for all wind and solar generators.
- (iv) All Wind and Solar generators shall be treated together as a virtual pool within the State Deviation Pool Account. Deviations for and within this virtual pool could be settled first at the rates and methodology stipulated above for wind and solar generators.

7. Settlement of Deviation Charges:

- i. A statement of Charges for Deviations levied under MPERC (Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement Mechanism and related matters for Wind and Solar Generating Stations) Regulation, 2018, shall be prepared by SLDC on monthly basis based on the implementation schedules and actual generation data recorded in SEM of Wind and Solar Pooling Stations. Within a period of three months from the date of notification of these Regulations, SLDC shall start the computation of Deviation Charges on weekly basis after receipt of complete meter data through AMR System,
- ii. All payments on account of Charges for Deviation levied under MPERC (Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement Mechanism and related matters for Wind and Solar Generating Stations) Regulation, 2018 and interest, if any, received for late payment shall be credited to the funds called the "State Deviation Pool Account" which shall be maintained and operated by the State Load Despatch Centre (SLDC).
Provided that -
 - (a) The Commission may by order direct any other entity to operate and maintain the respective "State Deviation Pool Account".
 - (b) Separate books of accounts shall be maintained for the principal component and interest component of Charges for Deviation by SLDC, as

the case may be.

All payments received in the "State Deviation Pool Account" shall be appropriated in the following sequence:

- (a) First towards any cost or expense or other charges incurred on recovery of Charges for deviation.
- (b) Next towards over dues or penal interest.
- (c) Next towards normal interest.
- (d) Lastly, towards charges for deviation.

Timelines for issuance & rectification of DSM Account and commercial settlement shall be as follows:

| Sr. No. | Action | Responsibility | Timelines |
|---------|--|--|---|
| 1. | Publish DSM Account for the month on Website. The Account shall have day-wise, block-wise Deviation Charges, Schedule, Actual for each pooling station under QCA. | SLDC | 15 th of the next month. |
| 2. | File comments/ rectification requests. | QCA | Within 15 days from the date of publishing of the DSM Account on the website. |
| 3. | Carry out rectification/ modifications of DSM account and convey the same through email/ on website. | SLDC | Within 10 days after receiving the rectification request from QCA. |
| 4. | DSM Charges payable to Pool Account. | QCA | Within 10 days from the date of issue of DSM Account by SLDC. |
| 5. | If payments against the Charges for Deviation are delayed by more than two days, i.e., beyond twelve (12) days from the date of issue of the statement by the SLDC, the defaulting QCA shall have to pay simple interest@ 0.04% for each day of delay. | QCA | In case the payment is not made even after a lapse of 60 days from date of issuance of DSM Account, process to invoke BG shall be initiated beside any other action as permissible under law / regulations. |
| 6. | DSM Charges receivable from Pool Account. | SLDC or Agency maintaining the Pool Account. | Payment to QCA entitled to receive DSM Charges shall be made within 2 days of receipt of payments in the State Deviation Pool Account. Provided that - |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>a) In case of delay in the Payment of charges for Deviations into the State Deviation Pool Account and interest there on if any, beyond 12 days from the date of issue of the Statement of Charges for Deviations, the State Entities who have to receive payment for Deviation or interest thereon shall be paid from the balance available in the State Deviation Pool Account. In case the balance available is not sufficient to meet the payment to the State Entities, the payment from the State Deviation Pool Accounts shall be made on pro rata basis from the balance available in the Deviation Pool Account.</p> <p>b) The liability to pay interest for the delay in payments to the "State Deviation Pool Account" shall remain till interest is not paid; irrespective of the fact that constituents who have to receive payments, have been paid from the "State Deviation Pool Account" in part or full.</p> |
|--|--|--|---|

8. Payment of Security towards Deviation Charges:

QCA shall be required to submit to SLDC the following payment security in the form of a Bank Guarantee (BG) towards settlement of DSM charges of Wind and Solar Generating Stations with State Deviation Pool Account:

- (i) For Solar Generation- Rs.10,000/- per MW for installed capacity of Solar Generating Station.
- (ii) For Wind Generation – Rs. 40,000/- per MW for installed capacity of Wind Generating Station.
- (iii) The BG submitted shall be valid for a period of 3 years and issued by any

Nationalized Scheduled Bank branch situated in the State of Madhya Pradesh and shall be extended from time to time as required. The payment security shall be reviewed by the SLDC every year by the end of May based on actual incidence of DSM charges during the previous financial year.

- (iv) In case of failure to pay into the "State Deviation Pool Account" within the specified time of 12 days from the date of issue of statement of charges for Deviation and payment is not made even after lapse of 60 days from the date of issuance of DSM account, the SLDC shall encash the BG of the concerned QCA and the concerned QCA shall recoup the same within a period of one (1) month. However, after implementation of weekly statement by the SLDC, the recoupment period shall be reduced to 15 days.

9. Compliance of SLDC Instructions:

Notwithstanding anything specified in these procedures, the Wind / Solar Generators and QCA shall strictly follow the instructions issued by State Load Despatch Centre on injection in the interest of grid security and grid discipline.

10. Event of default and consequences thereof:

Following events shall constitute event of default by QCA /Generators:

- (a) Non-payment or delay in payment of Deviation Charges by QCA/Generators.
- (b) Non-compliance of any of the terms/conditions/rules outlined under this MPERC (Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement Mechanism and related matters for Wind and Solar Generating Stations) Regulation, 2018.
- (c) Non-compliance of any of the directives issued by SLDC, so long as such directives are not inconsistent with any of the provisions of MPERC (Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement Mechanism and related matters for Wind and Solar Generating Stations) Regulation, 2018 .
- (d) Obtained registration on the basis of false information or by suppressing material information.

Consequences thereof:

- (a) The SLDC shall provide 15 days time to the QCA/Generator to present its

case before serving the Notice for dis-connection from the grid.

- (b) In case QCA/Generator fails to address/rectify the default expressed by the SLDC in the Notice within stipulated time, the SLDC shall proceed with revocation of registration of QCA and/or disconnection of respective generator from grid.

11. Removal of difficulties:

In case of any difficulty in implementation of this procedure, SLDC may approach the Commission for review or revision of the procedure with requisite details for removal of difficulties.

Schedule- : Deviation Charges for Wind/Solar Generating Stations

Table – I: Deviation Charges in case of under injection by Wind/Solar Generating Stations as State Entities undertaking Inter-state transactions

| S. No. | Absolute Error in the 15 minute time Block | Deviation charges payable for under injection |
|--------|--|---|
| 1. | $\leq 15\%$ | At the Fixed Rate for the shortfall energy for absolute error upto 15% |
| 2. | $>15\%$ but $\leq 25\%$ | (At the Fixed Rate for the shortfall energy for absolute error upto 15%) + (110% of the Fixed Rate for balance energy beyond 15% and upto 25%) |
| 3. | $>25\%$ but $\leq 35\%$ | (At the Fixed Rate for the shortfall energy for absolute error upto 15%) + (110% of the Fixed Rate for balance energy beyond 15% and upto 25%) + (120% of the Fixed Rate for balance energy beyond 25% and upto 35%) |
| 4. | $>35\%$ | (At the Fixed Rate for the shortfall energy for absolute error upto 15%) + (110% of the Fixed Rate for balance energy beyond 15% and upto 25%) + (120% of the Fixed Rate for balance energy beyond 25% and upto 35%) + (130% of the Fixed Rate for balance energy beyond 35%) |

Table - II: Deviation Charges in case of over injection by Wind/Solar Generating Stations as State Entities undertaking Inter-state transactions

| Sl. No. | Deviation Range | Deviation Charges |
|---------|-------------------------|---|
| 1. | $\leq 15\%$ | At the Fixed Rate for the excess energy upto 15% |
| 2. | $>15\%$ but $\leq 25\%$ | (At the Fixed Rate for the excess energy upto 15%) + (90% of the Fixed Rate for excess energy beyond 15% and upto 25%) |
| 3. | $>25\%$ but $\leq 35\%$ | (At the Fixed Rate for the excess energy upto 15%) + (90% of the Fixed Rate for excess energy beyond 15% and upto 25%) + (80% of the Fixed Rate for excess energy beyond 25% and upto 35%) |
| 4. | $>35\%$ | (At the Fixed Rate for the excess energy upto 15%) + (90% of the Fixed Rate for excess energy beyond 15% and upto 25%) + (80% of the Fixed Rate for excess energy beyond 25% and upto 35%) + (70% of the Fixed Rate for excess energy beyond 35%) |

Table - III: Deviation Charges in case of under-injection or over injection by Wind/Solar Generating Stations commissioned after date of Notification of these Regulations for sale of power within State

| Sl. No. | Deviation Range | Deviation Charges |
|---------|-------------------------|--|
| 1. | $\leq 10\%$ | None |
| 2. | $>10\%$ but $\leq 20\%$ | (At the Rs 0.50 per unit for shortfall or excess energy for Absolute Error beyond 10% and upto 20%) |
| 3. | $>20\%$ but $\leq 30\%$ | (At the Rs 0.50 per unit for shortfall or excess energy for Absolute Error beyond 10% and upto 20%) + (At the Rs 1.00 per unit for balance energy beyond 20% and upto 30%) |
| 4. | $>30\%$ | (At the Rs 0.50 per unit for shortfall or excess energy for Absolute Error beyond 10% and upto 20%) + (At the Rs 1.00 per unit for shortfall or excess energy beyond 20% and upto 30%) + (At the Rs 1.50 per unit for balance energy beyond 30%) |

**Table – IV: Deviation Charges in case of under-injection or over injection by
Wind/Solar Generating Stations commissioned prior to date of Notification of
these Regulations, for sale of power within State**

| S.No. | Absolute Error in Injection (in %) | Deviation Charges payable to State Discom (Per Unit) |
|-------|---------------------------------------|--|
| 1. | $\leq 15\%$ | None |
| 2. | $>15\%$ but $\leq 25\%$ | (At the Rs 0.50 per unit for shortfall or excess energy for Absolute Error beyond 15% and upto 25%) |
| 3. | $>25\%$ but $\leq 35\%$ | (At the Rs 0.50 per unit for shortfall or excess energy for Absolute Error beyond 15% and upto 25%) + (At the Rs 1.00 per unit for balance energy beyond 25% and upto 35%) |
| 4. | $>35\%$ | (At the Rs 0.50 per unit for shortfall or excess energy for Absolute Error beyond 15% and upto 25%) + (At the Rs 1.00 per unit for shortfall or excess energy beyond 25% and upto 35%) + (At the Rs 1.50 per unit for balance energy beyond 35%) |

ANNEXURE-II**Consent Letter Proforma**

To,

The Chief Engineer,
State Load Dispatch Centre,
MPPTCL, Nayagaon,
Jabalpur-482008.

Sub: Appointment of QCA as per MPERC (Forecasting, Scheduling, Deviation settlement Mechanism and related matters for Wind and Solar Generating Stations) Regulation, 2018 as amended from time to time.

Dear Sir,

I/We would like to inform you that I/we as the Wind/Solar power generator at (name) pooling station have decided to exclusively appointas the Qualified Coordinating Agency (QCA) for Forecasting, Scheduling and Commercial Settlement, as per MPERC (Forecasting, Scheduling, Deviation settlement Mechanism and related matters for Wind and Solar Generating Stations) Regulation, 2018.

Kindly find below the details of our capacity at (Name) pooling station having MW.

| Sr. No. | Customer Name | No. of WTGs/ Panels | Contact Person | Mail ID & Contact No. | Capacity in MW |
|---------|---------------|------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | Name | Y | Name | Mail ID and contact No. | |

I/We would like to state that henceforth the role of QCA at (Name) Pooling station will be taken care by.....

Contact Person 1.....

Address:

Phones (o)....., (M):..... (E-mail):.....

Contact Person 2:.....

(M):....., (E-mail):.....

Contact Person 3:.....

(o):....., (Email):.....

This is for your kind information and records.

Regards,

<< Signing Authority Name >>

<< Signing Authority Designation>>

| | | Annexure III |
|--|---|---|
| APPLICATION FOR REGISTRATION OF QUALIFIED COORDINATING AGENCY (QCA) WITH SLDC | | |
| Sr. No | Particulars | |
| 1 | Applied for - Tick the relevant | New Registration / Change of Registration / Cancel Registration |
| 2 | Name of the Qualified Coordinating Agency(QCA) | |
| 3 | Registered Address | |
| 4 | Phone No./Fax/E-mail Id of Office | |
| 5 | Phone No./Fax/E-mail Id of Control Room | |
| 6 | Nodal Officer / Contact Person - Name, Designation, Address, Mobile, Fax & Email. | |
| 7 | Pooling Station wise total Wind / Solar Generating Capacity for which QCA registration is required. | |
| 8 | Pooling Stations wise list of Generators alongwith Consent letter & Agreement with Generators is enclosed. The list includes - Pooling Station (Name & Address), Capacity in MW, Type, Voltage in KV, Grid Substation Name, Name of Generators connected with Capacity in MW). | |
| 9 | Date of Commencement of agreement between QCA and Generators. | |
| 10 | Period of agreement with Generators. | |
| 11 | Details of Registration Fee payable to SLDC (Mode / No / Date) | |
| 12 | Bank Account Details of QCA for handling DSM mechanism- | |
| (i) | Bank A/C No. - | |
| (ii) | Bank IFSC Code - | |
| (iii) | Name of Bank - | |
| (iv) | Bank Address - | |
| 13 | Undertaking: | |
| (i) | We hereby undertake to abide by the instructions issued by the SLDC for compliance of regulatory provisions of MPERC(Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement Mechanism and related matters of Wind and Solar Generating Stations) Regulations 2018 and subsequent amendments thereof. | |
| (ii) | We also undertake to inform SLDC regarding termination / breach of the agreement if any and shall not discharge the QCA functions without valid authorisations by Generators. | |
| (iii) | We also agree to pay the registration fee as approved by MPERC from time to time. | |
| | | |
| | | Signature of the Authorised Officer |

Name and Designation of Authorised Officer

ANNEXURE-IV

UNDERTAKING TO BE GIVEN BY PROSPECTIVE QCA AT THE TIME OF
REGISTRATION

Name: M/s..... (Name of QCA), (Postal address)
.....

[To be provided by the QCA on a 100 Rs. stamp paper]

1. We, as a QCA shall be regulated by MPERC (Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement and related matters of Solar and Wind Generating Stations) Regulations, 2018 and subsequent amendments thereof.
2. We as a QCA shall be responsible for settlement of Deviation Charges as per the MPERC regulations for the pooling stations/ RE Generators for which we represent as a QCA.
3. As per the MPERC Regulations, we as a QCA, agree to provide the forecasting schedules to SLDC on day-ahead basis on behalf of Wind and Solar pooling stations/RE Generator connected to STU /DISCOM substations.
4. We as a QCA agree to provide the consent letter from all the generators connected to the pooling station/ RE Generator for being appointed as the QCA.
5. We understand that we can revise the day ahead schedules for a maximum of ----- revisions as per the regulations.
6. We agree that if there is any deviation from the schedule, then for such Energy, Deviation charges shall be applicable as per the MPERC regulations as amended from time to time.
7. We shall be responsible for commercial settlements with the SLDC on behalf of wind and solar generators connected to the pooling station and RE generators.
8. We understand that SLDC will compute the Deviation charges of pooling stations as per MPERC (Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement Mechanism and related matters of Wind and Solar generating stations) Regulations, 2018 and publish the same on its website on a monthly basis.
9. We as QCA shall abide by MPERC (Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement Mechanism and related matters for Wind and Solar Generating Stations) Regulation, 2018, as amended from time to time for all transactions.
10. We shall establish necessary SCADA data of the turbine / inverter and pooling station for the purpose of monitoring and billing as per procedure.
11. In the event of any fault in generating system resulting in lower generation then, we shall revise the forecast and the same shall be intimated to SLDC as per the procedure.

12. We agree to pay a Bank Guarantee for the amount equivalent to Rs.10,000/MW for solar generation and Rs.40,000/MW for wind generation for a period of three years.

13. We agree to provide WTG's/ Invertor wise static data and pooling stations details as per the formats specified by SLDC.

14. We agree, if payments against the Charges for Deviation Charges are delayed by more than two days i.e., beyond twelve (12) days from the date of issue of DSM account by SLDC, the defaulting QCA shall have to pay simple interest@ 0.04% for each day of delay. We further agree that in case the payment is not made by us even after a lapse of 60 days from issuance of DSM account, process to invoke BG shall be initiated by SLDC.

15. We are agreeing for the above terms and conditions for registering as QCA with SLDC, MPPTCL Jabalpur, Madhya Pradesh.

Details of Bank Guarantee is enclosed.

(Name and Postal address of QCA)

.....
.....
for Pooling station:

MPPTCL/DISCOM Substation Station:

Voltage level at injecting point:

List of generators connected to the pooling station along with installed capacity for which consent is obtained:

1.

2.

Declaration: All that is stated in the above is true and correct.

QCA Authorized Signatory

.....

ANNEXURE-V**DECLARATION**

{Declaration to be signed by the M.D./CEO/Authorised Signatory of the Applicant (QCA)}

I/ We certify that all information furnished is / are true to the best of my/ our knowledge and belief.

I/We shall abide by such term and conditions that the MPERC, SLDC may impose to participate in the Forecasting, Scheduling and DSM for Solar & Wind Generation from time to time.

I/ We hereby also confirm that:

I/We have obtained consent from all the generators connected to the Pooling Stations as QCA and the copy of agreement is attached herewith.

| S.No. | Name of Pooling Station | Name of Generator | No. of turbines / Inverters | Capacity of Each turbine/Inverter | Total Capacity | Accepted as QCA |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| Total capacity of Pooling Station | | | | | | |

INDEMNIFICATION

The Wind / Solar Energy generator and QCA shall keep SLDC indemnified at all times and shall undertake to indemnify, defend and save the SLDC harmless from any and all damages, losses, claims and actions, including those relating to injury to or death of any person or damages to property, demands, suits, recoveries, costs and expenses, court costs, attorney fees, and all other obligations by or to third parties, arising out of or resulting from the Registration of QCA under DSM Mechanism.

The Wind / Solar Energy generators and QCA shall keep SLDC indemnified at all times and shall undertake to indemnify, defend and save the SLDC harmless from any and all damages, losses, claims and actions, arising out of disputes with SLDC, as well as with generators and QCA inclusive of confidentiality issues.

Date:

Signature of the QCA.

ANNEXURE-VI**GUIDELINES FOR PLANNING OF TELEMETRY AND VOICE COMMUNICATION**

1. The DAS/RTU to be installed at the power stations/substations/pooling station should have IEC 60870-5-101 or IEC 60870-5-104 protocol with interoperability matrix compatible with the SCADA system available at SLDC/Sub-LDC/backup SLDC.
2. The renewable generating Stations are required to arrange data channel upto nearest Control centre i.e. SLDC Jabalpur/Sub-LDC Indore/backup SLDC Bhopal or nearest wideband nodes. The existing wideband nodes are at 400KV S/s Bhopal, 400KV S/s Indore, 400KV S/s Bina, 400KV S/s Nagda, 400KV S/s Katni, 400KV SGTPS, 400KV Pithampur, 400KV Chegaon, 220KV S/s Ujjain, 220KV Itarsi, 220KV Damoh, 220KV S/s Jabalpur, 220KV S/s Satna, 220KV Seoni, 220KV Barwaha, 220KV Neemuch, 220KV Ratlam, 220KV Shivpuri, 220KV Gwalior-2, 220KV Malanpur, 220KV Shujalpur, 220KV Rajgarh, 220KV Indore (SZ), 132KV Waidhan.
3. The Renewable Generators are required to provide pooling station wise and turbine wise / inverter wise telemetry along with whether parameters. The turbine wise/inverter wise telemetry (active and reactive power) along with active and reactive power of all feeders upto 33KV connected at pooling station/control centre, active and reactive power of transformers, bus voltage, frequency and circuit breaker status of all feeders, transformers, bus couplers of your pooling station/control centre, SOE upto 132KV elements of pooling station where DAS /RTU is located shall be provided by RE Generator. Further, telemetry of whether parameters like wind speed of each wind turbine, irradiation parameters, temperature, humidity, etc shall also required to be provided by RE generators.
4. The renewable generating stations are required to arrange reliable data channel using either Power Line Carrier Communication (PLCC), OPGW Communication, dedicated point to point leased line, VSAT communication or combination of these. In case RE generator/developer/QCA opt for data channel using VSAT then they have to utilized shared VSAT infrastructure of service providers

available at SLDC/backup SLDC/Sub-LDC. Due to space constraint, separate VSAT infrastructure for individual generator/developer/QCA shall not be possible.

It may please be noted that communication channel using GPRS/GSM is not found reliable and suitable by SLDC, MPPTCL and hence shall not be permitted for telemetry. Further, data channel using internet/ broadband internet shall also not permitted due to cyber security reasons.

5. The measured mentioned above are required to be configured in RTU/DAS as IEC type detailed hereunder:-

| S.No. | Data object | IEC Data type to be configured |
|-------|---------------------------------|--|
| 1. | Breaker Status | M_DP_TA_1 (TYP04) i.e Double status with time tag. |
| 2. | Analog Input (MW, MVAR, KV, HZ) | M_ME_NA_1 (Type09) or M_ME_NC (TYPE 13) |

6. The other important IEC 870-5-101 parameter setting required to be made in your DAS/RTU are also given hereunder

| | |
|-------------------------------|---------|
| Iec Max User Frame Length | 255 |
| Iec LL Addr Field Length | 1 octet |
| Iec ASDU Addr Field length | 1 octet |
| IEC Object Addr Field length | 2 octet |
| IEC Transmission Field length | 1 octet |

7. The various protocol parameters is required to be configured as given hereunder:-

| Type of power system data | Data unit type | Description as per IEC | Data polling method | Scan group | Class-x | Object address range |
|-----------------------------|-------------------|---|---|------------|---|----------------------|
| Analog values | ASDU-9 or ASDU-13 | Measured value normalized or short float | Periodic group scan | Group-3 | Class-2 | 3001-4001 |
| Single Input digital status | ASDU-1 | Single Point information without time tag | By exception (spontaneous) and on periodic group scan | Group-1 | Class-1 after exception, class-1 after group scan | 1-1000 |
| Single Input digital status | ASDU-2 | Single Point information with time tag | By exception (spontaneous) | Group-1 | Class-1 after exception | 1001-2000 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------|--------------------------|----------------------------|---------|------------------------|-----------|
| Digital Inputs Double point | ASDU-3 | Double point information | By exception (spontaneous) | Group-2 | Class1 after exception | 2001-3001 |
|--------------------------------|--------|--------------------------|----------------------------|---------|------------------------|-----------|

8. The reliable data channel from DAS/RTU to nearest SLDC/Sub-LDC/wideband node (either PLCC or leased line) is required to be arranged by Your company. The data channel speed for IEC 60870-5-101 protocol may be worked out on the basis of Number of analog data as per details given hereunder:-

| No. of Analog Data | Minimum Baud Rate |
|--------------------|-------------------|
| 0 – 30 | 300 |
| 31 – 60 | 600 |
| 61 – above | 1200 |

For IEC 60870-5-104 protocol data channel using OPGW/VAST/dedicated point to point leased line with Ethernet port at both the ends is required to be arranged. The IP address for RTU/Ethernet port shall be provided at the time of commissioning. Two Number FEP server IP address is to be configured in RTU for redundancy purpose.

Data is required to be updated at SLDC SCADA as and when it is changed at field. The data update rate from RTU at TSS to SLDC SCADA/EMS system for analog signal is required in less than 10 seconds and for status signal is required less than 4 second.

9. As these renewable generating stations are located at remote stations, outage of telemetry due to non availability of backup auxiliary power supply is also observed. Hence, in order to ensure round the clock availability of telemetry, it is also required that the telemetry system shall be commissioned with UPS and battery of sufficient capacity so that power backup for at least 10 hours is available.
10. Modem/other integration equipment like VSAT terminal/OPGW terminal equipment/ PLCC cabinets along with necessary wiring/cabling required for integration of telemetry of your plant at Sub-LDC/ SLDC shall also be arranged by the concerned renewable generating agency. In case of leased line/ VAST communication arrangement for renewable of leased charges is required to be

made by renewable generating stations. The data base preparation in SLDC/backup SLDC/Sub-LDC SCADA system shall be arranged by SLDC.

11. The renewable generating stations are advised to obtain approval of telemetry scheme as well as data IO list before commissioning of telemetry so that compatibility issue with SLDC SCADA/EMS system, if any may be avoided.
12. Ensuring round the clock availability of telemetry after its commissioning is of utmost importance and necessary arrangement for ensuring 100% availability after sub sequent commissioning of telemetry like arrangement of sufficient spares for data channel as well as data acquisition equipment, AMC with OEMS, availability of backup of all configuration files, wiring diagram etc. is required to be maintained and details of contact person responsible for maintenance of telemetry is required to be informed by each renewable generating stations to SLDC. In case of lack of response/ abnormal delay in restoration of telemetry SLDC shall initiate necessary action like suspension of energy accounting/disconnection of pooling station from grid/taking up the matter with MPPMCL for stopping energy payment.
13. In order to ensure round the clock availability, it is required to install RTU/ DAS/ MFM/ MODEMS of reputed make having type test certificate.

ANNEXURE-VII**STATE LOAD DESPATCH CENTRE - JABALPUR**

AVAILABLE CAPACITY (AvC) AND FORECASTED GENERATION OF -- MW WIND / SOLAR POWER
PROJECT OF M/s ----- AT POOLING STATION IN MW

| |
|-----------|
| FOR DATE: |
| REV. NO. |
| TIME |
| REMARKS |

| BLK NO. | FROM TIME | TO TIME | POOLING STATION NAME | |
|---------|-----------|---------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | AVAILABLE CAPACITY (AvC) IN MW | FORECASTED GENERATION IN MW |
| 1 | 0:00 | 0:15 | | |
| 2 | 0:15 | 0:30 | | |
| 3 | 0:30 | 0:45 | | |
| 4 | 0:45 | 1:00 | | |
| 5 | 1:00 | 1:15 | | |
| 6 | 1:15 | 1:30 | | |
| 7 | 1:30 | 1:45 | | |
| 8 | 1:45 | 2:00 | | |
| 9 | 2:00 | 2:15 | | |
| 10 | 2:15 | 2:30 | | |
| 11 | 2:30 | 2:45 | | |
| 12 | 2:45 | 3:00 | | |
| 13 | 3:00 | 3:15 | | |
| 14 | 3:15 | 3:30 | | |
| 15 | 3:30 | 3:45 | | |
| 16 | 3:45 | 4:00 | | |
| 17 | 4:00 | 4:15 | | |
| 18 | 4:15 | 4:30 | | |
| 19 | 4:30 | 4:45 | | |
| 20 | 4:45 | 5:00 | | |
| 21 | 5:00 | 5:15 | | |
| . | . | . | | |
| . | . | . | | |
| . | . | . | | |
| . | . | . | | |
| . | . | . | | |
| 90 | 22:15 | 22:30 | | |
| 91 | 22:30 | 22:45 | | |
| 92 | 22:45 | 23:00 | | |
| 93 | 23:00 | 23:15 | | |
| 94 | 23:15 | 23:30 | | |
| 95 | 23:30 | 23:45 | | |
| 96 | 23:45 | 24:00 | | |

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2019

सूचना

क्रमांक एफ. 12-2-2014-सात-2- मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे कि राज्य सरकार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 112 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि नियमों के उक्त प्रारूप पर "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिवस का अवसान होने जाने पर विचार किया जाएगा।

ऐसी किसी भी आपत्ति या सुझाव पर, जो कि उक्त संशोधन के प्रारूप के संबंध में, किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल को प्राप्त हों, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 21 के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"22. ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में भूमि की सीमाएं— अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) के अधीन भूमि के विस्तार की वे सीमाएं, जिससे अधिक भूमि के लिए प्रायवेट बातचीत के माध्यम से, प्रायवेट कम्पनी द्वारा कय के मामले में अधिनियम के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उपबंध लागू होंगे, नगरीय क्षेत्रों में 50 हैक्टर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 हैक्टर होगी।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

भोपाल दिनांक 1 अक्टूबर 2019

क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-12-2-2014-सा-2, दिनांक 1 अक्टूबर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

Bhopal, the 1st October 2019

NOTICE

No. F-12-2-2014-VII-Sec.2.- The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2015, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 109 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), is hereby, published as required by section 112 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment shall be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received by the Principal Secretary, Revenue Department, Vallabh Bhawan, Mantralaya, Bhopal from any person with respect to the said draft of amendment before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, after rule 21, the following rules shall be added, namely:-

“22. Limits of Land in rural areas and urban areas.- The limits of land under clause (a) of sub-section (3) of section 2 of the Act beyond which provisions of rehabilitation and resettlements under the Act apply, in case of purchase by a private company through private negotiation, shall be 50 hectares in urban areas and 1000 hectares in rural areas.”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MUJEEBUR REHMAN KHAN, Dy. Secy.